159

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खंण्ड II

अंक 21 – 26

5 से II दिसम्बर

1962

पी एल

तृतीय माला, खण्ड ११—अंक २१

बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६२
१४ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/83

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

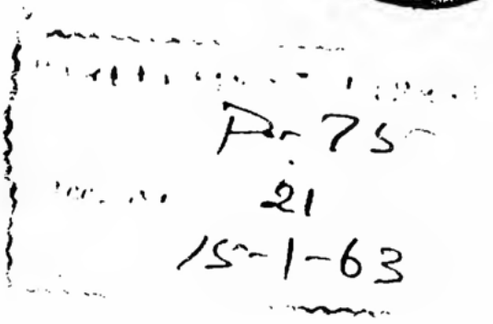

(खण्ड ११ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

पृष्ठ

सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने के बारे में १८३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति–

बारहवां प्रतिवेदन १८३३

विधेयक पुरस्थापित

(१) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक . १८३३–३४

(२) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक . . १८३४

(३) कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक . . १८३४

(४) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधयक . . १८३४–३५

कार्य मंत्रणा समिति–

दसवां प्रतिवेदन . १८३५–३७

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १८३७–४३, १८४५-४६

श्री नन्दा . १८३८–४३

श्री हरिश्चन्द्र माथुर . . १८४५–४६

सभा का कार्य १८४३–४५

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . १८४६–६५

श्री प्रभात कार . . १८४६–४७

श्री कुं० कृ० वर्मा १८४७–४८

श्री प० ला० बारूपाल . . . १८४८–४९

श्री प्र० के० देव . . . १८४९–५०

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा . . १८५०–५१

श्री काशीराम गुप्त . १८५१–५२

श्री शिव नारायण . . . १८५२–५५

श्री बड़े . . . १८५५–५८

श्रीमती लक्ष्मी बाई . . . १८५८–६०

श्री मोहन स्वरूप . . १८६०–६१

श्री अ० ना० विद्यालंकार १८६२–६३

श्री भू० ना० मंडल १८६३

श्री अब्दुल गनी गोनी १८६३–६४

डा० मा० श्री० अणे १८६४

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा १८६४–६५

खंड २ से ५ और १ . . . . . १८६५

पारित करने का प्रस्ताव १८६५

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा १८६५

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ११, १९६२/१८८४ (शक)

[५ से ११ दिसम्बर १९६२ / १४ से २० अग्रहायण १८८४ (शक)]

तीसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ११ में अंक २१ से २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ११—अंक २१ से २६—५ से ११ दिसम्बर, १९६२/१४ से २० अग्रहायण, १८८४ (शक)]

अंक २१—५ दिसम्बर, १९६२/१४ अग्रहायण १८८४ (शक)

सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने के बारे में . १८३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति १८३३

बारहवां प्रतिवेदन

विधेयक पुरस्थापित

(१) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक . . १८३३–३४

(२) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक . . १८३४

(३) कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक] . . १८३४

(४) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . १८३४–३५

कार्य मन्त्रणा समिति

दसवां प्रतिवेदन १८३५–३६

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १८३७—४३

सभा का कार्य . . . . . १८४३—४५

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १८४६–६५

खण्ड २ से ५ और १ . . . . . १८६५

पारित करने का प्रस्ताव १८६५

श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . १८६६—८१

दैनिक संक्षेपिका १८८२

अंक २२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९६२/१५ अग्रहायण, १८८४ (शक)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मिट्टी के तेल की कथित कमी . . . . १८८३—८६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८६–८७

राज्य सभा से सन्देश १८८८

पूर्वी पंजाब वैद्य और हकीम (दिल्ली संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १८८८–८९

कथित जासूस की गिरफ्तारी १८८८–८
श्री लाल बहादुर शास्त्री
श्रमजीवी पत्रकार संशोधन विधेयक . . . १८८९–१९०
विचार करने का प्रस्ताव
खण्ड २ से १० और १ . . . . १९००—१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १९००—१
व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबन्ध) विधेयक . . १९१४—२
विचार करने का प्रस्ताव
खण्ड २ से ८ और १ . . . . . १९२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . . १९२६—३
मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक—
दैनिक संक्षेपिका . . . . . १९३५—३

अंक २३—शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२/१६ अग्रहायण, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . . . १९३९—४
आसाम के दौरे अन्य विषयों के बारे में वक्तव्य . . . १९४३—४
लोक लेखा समिति १९४
चौथा प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति १९४
आठवां प्रतिवेदन
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १९४९—५
नियम ६६ के परन्तुक का निलम्बन १९५
आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक . . . १९५३—५
आपातकालीन और जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक . . १९५५—६
विचार करने के प्रस्ताव
(१) खण्ड २ से १७ और १
[आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक] . . . १९६१—७
(२) खण्ड २ से १९, नया खण्ड २० और १
आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक . . . १९७
संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव . . . . १९७५—८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . १९८
बारहवां प्रतिवेदन १९८

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में संकल्प . . . १९८०–२०१०

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण के बारे में संकल्प . . . २०१०

श्री भागवत झा आजाद

दैनिक संक्षेपिका २०११–१२

अंक २४—शनिवार, ८ दिसम्बर, १९६२/१७ अग्रहायण, १८८४ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ और ९ . . २०१३–१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र

युद्ध विराम पर चर्चा के बारे में २०१६–१८

दिल्ली मोटर गाड़ियां करारोपण विधेयक २०१८–३०

विचार करने का प्रस्ताव

खण्ड २ से २५ और १

संशोधित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

बड़े पत्तन न्यास विधेयक २०३०–४२

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव

नियम ७४ के परन्तुक का निलम्बन २०४२–४४

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक २०४५–५६

संयक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

दैनिक संक्षेपिका

अंक २५—सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२/१९ अग्रहायण, १८८४ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० से १२ . . . २०५९–६३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०६३–६४

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

तीसरी बैठक के कार्यवाही सारांश . २०६४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २०६४

चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न सीमा सम्बन्धी स्थिति के बारे में प्रस्ताव २०६४–२१०२

श्री जवाहरलाल नेहरू

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्री प्र० के० देव

श्री उ० न० ढेबर

	पृष्ठ
श्री दासप्पा	
श्री उ० मू० त्रिवेदी	
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	
श्री अ० प्र० जैन	
श्री श्याम लाल सर्राफ	
श्री याज्ञिक	
श्री खाडिलकर	
श्री राम सेवक यादव	
श्री फ्रेंक एन्थनी	
श्री मतयाल राव	
श्री विद्या चरण शुक्ल	
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	
श्री मौर्य	
श्री मु० इस्माइल	
श्री बिशनचन्द्र सेठ	
श्री रंगा	
दैनिक संक्षेपिका	२१०३–०४
अंक २६—मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६२। २० अग्रहायण, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ से १५	२१०५–१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८५८ से ८७२	२११३–१९
लोकसभा के आगामी सत्र के बारे में	२११९–२१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में .	२१२१–२३
कपास के मूल्यों में कथित गिरावट और कपास के उत्पादन पर इसका प्रभाव	
लोक सभा के पटल पर रखे गये पत्र	२१२३–२४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .	२१२४
कार्यवाही सारांश	
याचिका समिति	२१२४
कार्यवाही सारांश	
राज्य सभा से सन्देश	२१२५
सभा का कार्य	२१२५–२६
संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक	२१२६–३७
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	
केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियमों इत्यादि में रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव	२१३७–४५
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव	२१४५–४८
दैनिक संक्षेपिका	
तीसरे सत्र (भाग १), १९६२ का कार्यवाही संक्षेप . . .	१–४

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६२

१४ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सेना के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाने के बारे में सूचना देनें के सम्बन्ध में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : आंज के समाचार पत्र के अनुसार एक सरकारी प्रवक्ता ने सेना की गतिविधि के बारे में प्रेस को सूचना दी है जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से सर्वथा अनुचित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कृष्णमूर्ति राव :

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : आज की कार्य सूची में कार्य के क्रम में अन्तर है और श्रम जीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक का उल्लेख नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर विचार के समय उठाई जा सकती है।

आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपातकाल में शत्रु द्वारा पहुंचाई गई क्षति के विरुद्ध भारत में कुछ सम्पत्ति के बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

†मूल अंग्रेजी में

2421 (Ai) LSD—1.

[अध्यक्ष महोदय]

"कि आपातकाल में शत्रु द्वारा पहुंचाई गई क्षति के विरुद्ध भारत में कुछ सम्पत्ति के बीमे का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

आपातकालीन जोखिम माल बीमा विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपातकाल में शत्रु की कार्यवाहियों से की गई क्षति के विरुद्ध भारत में माल के बीमे का कुछ उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आपातकाल में शत्रु की कार्यवाहियों से की गई क्षति के विरुद्ध भारत में माल के बीमे का कुछ उपबन्ध करने वाले बिल को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

कृषि पुनर्वित निगम विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि के विकास के लिये पुनर्वित्त के रूप में अथवा अन्यथा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिये एक निगम की स्थापना और तत्सम्बन्धी अन्य मामलों अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कृषि के विकास के लिये पुनर्वित्त के रूप में अथवा अन्यथा मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिये एक निगम की स्थापना और तत्संबंधी अन्य मामलों अथवा आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : श्रीमान्, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० में आगें संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा सामात

दसवां प्रतिवेदन

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो ४ दिसम्बर, १९६२ को लोक सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत हैं।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से, जो ४ दिसम्बर, १९६२ को लोक-सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रीमान्, आपने पिछली बार मत प्रकट किया था कि यदि सरकार कार्य सूची में किसी कारण परिवर्तन करती है तो कम से कम २४ घन्टे पहिल सूचना दी जायेगी। संसदीय-कार्य मंत्री यह बतायें कि कार्यसूची क्यों बदल दी गई है और यदि पिछला क्रम नहीं रखा जा सकता, तो कृपया हमें संशोधन रखने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : कार्य मन्त्रणा समिति की दसवीं रिपोर्ट हमें आज दी गई है, उसमें श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक का तनिक भी उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ है कि यह बिलकुल नहीं लिया जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह गलत विचार है । उसके लिये समय पहले ही निश्चित हो गया है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा सुझाव है कि विषय सूची में यदि कोई भी परिवर्तन किया जाय, तो वह भविष्य में सभा की अनुमति से किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे पास समय कम है और कार्य अधिक है। अत: जो कार्य अधिक महत्वपूर्ण है उसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जैसे आपातकालीन जोखिम बीमा विधेयक है। यदि समय बचे तो अन्य विधेयक लिया जा सकता है। शायद कल आपात-

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

कालीन जोखिम बीमा विधेयक लिये जायेंगे। मैं संशोधन पेश करने की अनुमति दे सकता हूं। यदि इनको पढ़ने के लिए अधिक समय संदस्य चाहते हैं तो हमें गैर-सरकारी कार्य पीछे करना होगा। माननीय मंत्री जी का क्या मत है?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : श्रीमान, मैं ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा था कि यदि हम शनिवार को बैठक न करें तो ११ दिसम्बर तक हमारे पास केवल आज और कल का समय अन्य कार्य के लिए है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : सभा की बैठक शनिवार को भी क्यों न हो?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य निश्चित रूप में जानना चाहते हैं कि यदि सभा की बैठक शनिवार को हो तो क्या श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक लिया जायेगा या अन्य विधेयक लिया जायेगा।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मुझे परामर्श करने के लिए कुछ समय दीजिये। मैं एक बजे वक्तव्य दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि यह महत्वपूर्ण विधेयक है। यदि माननीय सदस्य अब भी चाहते हैं कि श्रमजीवी विधयक अवश्य लिया जाये और वे शनिवार को सभा की बैठक के लिये भी सहमत हैं, तो मंत्री जी कहते हैं कि वह संबंधित मंत्री जी से सलाह कर के प्रति क्रिया बता देंगे।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : वित्त मंत्री जी ने जो दो विधेयक पुरःस्थापित किये हैं, उन पर आपका क्या निर्णय है? उन्हें शुक्रवार को लिया जायेगा या कल लिया जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि शुक्रवार को लें तो क्या कोई हानि है?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : कोई आपत्ति नहीं है। केवल यह विचार रखना है कि ये विधेयक दूसरी सभा द्वारा भी पारित हो जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : गैर-सरकारी कार्य लेने से पहले हम उन्हें शुक्रवार को लेंगे।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री रंगा** : कुछ समय पहले हम ने सरकार को सुझाव दिया था कि संकट का ध्यान रखकर प्रति मास कम से कम एक सप्ताह की संसद् की बैठक की जाये। अभी तक हमें उन से कोई उत्तर नहीं मिला है।

हम ने एक अनौपचारिक या नियमित परामर्शदात्री समिति बनाने का भी सुझाव दिया था जिस में दलों के नेता और उन के प्रतिनिधि भी हों, ताकि संसद् की बैठक न होने के दिनों में यदि कभी कोई महत्वपूर्ण बात हो, तो सरकार यदि चाहे तो हम से विचार विनिमय कर ले। इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि दलों के नेता संसदीय-कार्य मंत्री से मिलकर इन दोनों सुझावों का निर्णय कर लेते तो अच्छा होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : हमने अगला सत्र बुलाने का अभी निश्चय नहीं किया है। जहां तक संसदीय समिति बनाने का सुझाव है, सरकार को खेद है कि वह उसे स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आवश्यकता होगी कि सत्र तत्काल बुलाया जाये, तो संसद् की बैठक ४८ घन्टे में बुला ली जायेगी। मैं ने प्रधान मंत्री से विचार विमर्श किया था और प्रधान मंत्री का यही मत है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम-निर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : हम में से कुछ ने काफी सब्र से काम लिया है। हम ने प्रश्न नहीं पूछे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस युद्ध विराम के बारे में और पाकिस्तान के साथ निपटारे के बारे में कहीं स्वयं एक ओर बैठकर निर्णय न कर ले। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार ये निर्णय एक दम इस सभा के सामने आयें।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का "एक ओर बैठकर" कहना सर्वथा अनुचित है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कम से कम एक समिति बनाइये। (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। हम इस प्रकार काम नहीं कर सकते।

†**श्री रंगा** : हमें कुछ समय तो दीजिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य वाक-युद्ध कर चुके हैं। इस से आगे मैं अनुमति नहीं दे सकता। मैं ने उन की बात सुन ली है और उसकी प्रतिक्रिया भी देखली है। यदि माननीय सदस्यों को इस सरकार में विश्वास नहीं है तो वे इस सरकार को हटा सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं।

†**श्री रंगा** : आप बहुत कुछ कर सकते हैं। निश्चय ही आप सरकार को स्पष्ट कर सकते हैं कि सभा का सत्र समाप्त करना और सलाह देने के लिये कोई समिति भी न बनाना उन के लिए उचित नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को सलाह के लिये धन्यवाद देता हूं। और मैं इन परिस्थितियों में जो भी उचित समझूंगा करूंगा।

मैं अभी बागड़ी से कहना चाहता हूं कि उनका दिल्ली की लॉ एण्ड आर्डर पोजीशन का मोशन कमेटी में लिया गया था। कमेटी ने फैसला किया कि इस वक्त जो बाकी दिन हैं उन में ऐसा मौका नहीं आ सकता। इसलिए मुझे अफसोस है कि वह नहीं लिया जा सकता।

भारतीय और राज्य प्रशाशन सेवाओं सम्वन्धी प्रतिवेदनके बार में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा ४ दिसम्बर, १९६२ को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा रखे गये निम्न प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

> "कि यह सभा भारतीय तथा राज्य प्रशासन सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्या के बारे में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की रिपोर्ट पर, जो ७ सितम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखी गई थी, विचार करती है।"

श्री नन्दा अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : भारतीय तथा राज्य प्रशासन सेवाओं और जिला प्रशासन की समस्याओं के बारे में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बीच उठाये गये कुछ प्रश्नों के बारे में मुझ कुछ मत व्यक्त करने हैं।

कल शाम मैं ने कहा था कि चर्चा के बीच उठाये गये अनेक प्रश्नों का रिपोर्ट से कोई संबंध नहीं है। प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य को यह बात अच्छी नहीं लगी। मैं उन्हें आश्वासन दे दूं कि उन्होंने और अन्य माननीय सदस्यों ने जो भी कहा महत्वपूर्ण था। मेरा अभिप्राय तो केवल यह था कि कुछ बातों का, जो उठाईं गईं, रिपोर्ट से कोई संबंध न था। वे बातें रिपोर्ट से पैदा नहीं होती चाहे उन के विषय कितने ही महत्व के थे।

देश की वर्तमान परिस्थितियों में जब कि सरकार कल्याणकारी अनेक कार्य अपने हाथ में लेती है और अपने आर्थिक कार्य भी बढ़ा है, प्रशासन का निश्चय ही जनता से गहरा और महत्वपूर्ण संबंध होता है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस बात का ध्यान रख कर कि हमारे ऊपर आजकल संकट है, प्रशासन का कार्य बड़ा ही नाजुक हो जाता है। अतः व्यक्त की गई भावनाओं की मैं सराहना करता हूं। रिपोर्ट में कुछ मामलों का उल्लेख किया गया है और मेरा ख्याल है कि इसे निराशाजनक रिपोर्ट कहना तनिक भी उचित नहीं है। हम इस रिपोर्ट में उन प्रश्नों के उत्तरों की आशा नहीं करते जो नहीं पूछे गये थे। मैं यह स्पष्ट करने के लिए कि वे बातें तो उत्पन्न ही नहीं होतीं, निर्देश पदों का उल्लेख करूंगा। इसको केवल विभिन्न स्तरों पर प्रशासन और जिला तथा खण्ड स्तरों पर लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं के बनने से उत्पन्न होने वाली बातों पर विचार करना था। राज्यों को हम ने जो पत्र लिखा था उस में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यह समिति किन बातों पर विचार करेगी। राज्य सरकारों को श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को कुछ विशिष्ट बातों पर जानकारी देनी थी ताकि वह इन विशिष्ट मामलों पर अपनी सिफारिशें देते। रिपोर्ट में केवल यही बातें होनी चाहियें। यह व्यापार-पत्र जैसी है और इसकी सिफ रिशें बहुत ही व्यावहारिक हैं। हमें इस कारण इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि इसमें अन्य बातें नहीं हैं, हो सकता है कि किसी अन्य स्थान पर या अवसर पर उन पर चर्चा करना अधिक उचित हो।

दूसरी बात यह है कि जब हम इस रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हैं तो यह अकेली नहीं रहती। प्रशासन संबंधी प्रत्येक बात इस रिपोर्ट में नहीं कही गई है। यह पहिली ही रिपोर्ट नहीं है। पहिले भी रिपोर्टें दी जा चुकी हैं और यह तो उस माला में से एक है। बाद में अन्य समितियों की भी रिपोर्टें आयेंगी। कुछ समितियां बन गई हैं और कुछ बनेंगी। हमें सारी स्थिति पर एक साथ विचार करना है। पंचायत राज इसलिए लागू नहीं किया गया है कि सामुदायिक विकास न किया जाये। ऐसी बात पैदा होने से काफी पहिले पहली योजना में भी गांवों और ऊंचे स्तरों पर संस्थायें बनाई गई थी। उन्हें विकास का काम दिया गया व अधिक अधिकार दिये गये। दूसरी योजना में भी यही सब निश्चित किया गया था। यह पूछा गया था कि सामुदायिक विकास और उस सब में क्या सम्बन्ध है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था। अतः मैं इसे उचित भाषा में रखना चाहता हूं। यह एक निरन्तर बात है और इस विषय पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : (जालोर) : क्या पंचायती राज के बारे में आपको स्पष्ट विचार है? क्या आप को सामुदायिक विकास के बारे में स्पष्ट जानकारी है? क्या आप सामुदायिक विकास मंत्री से सहमत नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : नीति चर्चा करने के बाद बनती है । यह नीति सभी मंत्रियों के लिये है जो विचार विनिमय से बनती है । यह नीति सभी मंत्रालयों के लिए है । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि ये कागज़ी सिफारिशें हैं । श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की रिपोर्ट के बारे में ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है । प्रशासन में वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की सम्स्याओं का और विभिन्न स्तरों की समस्याओं का बहुत ज्ञान है । रिपोर्ट का एक भाग प्रशासन सेवा के बारे में की गई सिफारिशों के बारे में है और उस बारे में उठाये गये कुछ प्रश्नों के उत्तर श्री दातार द्वारा दिये जा चुके हैं । अन्य राज्यों की तुलना में मैसूर ने कुछ कम आई०ए०एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) अफसर मांगे है । कुल १५० आई० ए० एस० अफसर अगले चार वर्ष में सभी राज्यों में भेज दिये जायेंगे । यह संख्या बहुत अधिक नहीं है, यदि माननीय सदस्य सही-सही आंकड़े जानना चाहते हों तो उन्हें सविस्तार बताया जा सकता है परन्तु मुझे तो यही बताया गया है कि कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनके कारण ऐसा किया गया है । उदाहरणत: गुजरात ने अधिक आई० ए० एस० अफसर मांगे हैं । उन्होंने पंचायती राज में आई० ए० एस० अफसरों के लिये विशेष स्थान उपलब्ध किया है । उन्हें पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न निकायों का जिला स्तरों का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी बनाया जा रहा है । इसलिये उन्हें अधिक संख्या में उनकी जरूरत होगी ।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : अध्यक्ष महोदय, यह सारी परिस्थिति हम को मालूम है और उस परिस्थिति को देखते हुये आई० ए० एस० की पोस्ट क्रीएट की । जिंदगी के पहले २५ वर्ष सबसे बढ़िया होते हैं, आधी जिंदगी प्लान की गुजर गयी, इस में आपको आई० ए० एस० ने क्या खूबी ला दी या क्या अच्छाई ला दी इस को मैं जानना चाहता हूं ?

†**श्री नन्दा** : उन्हें आप आई० ए० एस० कहें या आई०एफ०एस० वह एक ही बात है । विभिन्न स्तरों पर समन्वय करने के लिये इन अफसरों की जरूरत है ।

यह भी कहा गया कि टैक्नीकल सेवाओं को भी आई० ए० एस० अफसरों के अधीन रखा जा रहा है । श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने इस मामले पर अपनी राय रिपोर्ट में प्रस्तुत की है । उन्होंने कहा कि कृषि और पशुपालन आदि विभागों के अध्यक्ष टैक्नीकल कर्मचारी ही होने चाहियें ।

इसी प्रकार उन्होंने सहकारी सेवा के बारे में भी कहा था । टैक्नीकल सेवाओं को मजबूत बनाने और उन्हें उपयुक्त स्थान देने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया है । टैक्नीकल कर्मचारियों का महत्व बढ़ा है । उत्पादन और विकास कार्य में उनकी जरूरत होती है । इस लिये उनका महत्व बढ़ रहा है और उसको देखते हुए उनके दर्जे को मजबूत बनाया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : रिपोर्ट को पढ़ने से पता चलता है कि लोकतंत्र के नाम पर इन टैक्नीकल कर्मचारियों को स्थानीय राजनैतिक कर्मचारियों के अधीन रखा जा रहा है और वे स्व-तन्त्रता से काम नहीं कर सकते । अधिक हस्तक्षेप होने के कारण वे आत्म विश्वास खो रहे है ।

†**श्री नन्दा** : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इस प्रकार का हस्तक्षेप बिलकुल नहीं होना चाहिये ।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : बड़े खेद की बात है कि अफसरों के काम में हस्तक्षेप करने की शिकायत श्री नन्दा के मंत्रालय के बारे में भी कई बार की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा: यह बात सही नहीं है।

मैं टैक्नीकल कर्मचारियों के बारे में कह रहा था। विभिन्न स्तरों पर अपना कर्त्तव्य निभाने के उनके सामर्थ्य की मैं सराहना करता हूं परन्तु टैक्नीकल और प्रशासनिक कार्य में कुछ अन्तर होता है और उसमें तालमेल की जरूरत होती है। टैक्नीकल कार्य में प्रशासक को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इस बात के महत्व को मैं समझता हूं। इस बात पर जोर दिया गया है कि पंचायत, पंचायत समिति और जिला स्तरों पर कार्य का सर्वेक्षण, मार्ग दर्शन और निर्देशन क्रमबद्ध रूप से होना चाहिये, विशेषकर टैक्नीकल विषयों में।

भारतीय प्रशासन सेवा के बारे में मुझे केवल यही कहना है। सेवाओं के बारे में की गई सिफारिशों पर गृह-कार्य मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है। उनमें से कुछ एक राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। सामुदायिक विकास मंत्रालय ने सामान्य रूप से सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और जहां कहीं राज्यों का ताल्लुक पड़ता है उनकी राय जानना जरूरी होगा।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि पंचायती राज्य का आधार क्या है और पंचायती संस्थायें क्या काम करेंगी ? रिपोर्ट पढ़ कर उन्हें यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये थी। इस पर योजना आयोग ने विचार किया था और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् के सामने रखा गया था। गांव की समितियां बनाने के दो तरीकों पर विचार किया गया था।

विकास खंडों के लिये समितियां स्थापित की जा सकती हैं और वे जिला परिषदों में समन्वय करने के लिये एक समन्वय निकाय स्थापित कर सकती हैं। खंड की समिति के सदस्यों द्वारा जिला परिषदों की स्थापना की जा सकती है। विभिन्न राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों को देखते हुए किसी भी तरीके से कार्य कर सकते हैं। दोनों के लाभ और हानियां बता दी गई हैं। इस विषय में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक संकल्प पास किया था। इस में बताया गया था कि सभी राज्यों में परिस्थितियां एक सी नहीं हैं। योजना आयोग का यह मत था जिला को आधार माना जाये और पंचायत समितियां आदि जिला परिषद् की देख रेख और निर्देशन में कार्य करें। उस समय स्थिति यह थी कि विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने बताया कि उन के राज्यों में व्यवस्था इस प्रकार की थी कि इस प्रयोजन के लिये पहले खंड स्तर पर काम करना अधिक अच्छा था और बाद में जिला स्तर पर। इस बात को मान लिया गया और किस ढंग से इस सिद्धान्त को लागू करना है यह बात राज्यों पर छोड़ दी गई।

प्रत्येक राज्य अपने अनुरूप ही खाका तैयार करें ताकि स्थापना के लिये आग्रह करने की आवश्यकता उत्पन्न न हो। हम ने यही दृष्टिकोण अपनाया था; इस लिये संविधियां सर्वथा समानता पर आधारित नहीं हैं। महाराष्ट्र में जो विशेषता हैं वह माननीय सदस्य को स्वीकार है और मझे भी स्वीकार है। हमारी नीति किसी प्रकार का स्थिर प्रारूप अपनाया जाना नहीं है। इस में विविधतायें हैं। हमें इन विविधताओं से भयांकित नहीं होना चाहिये। अनुभव प्राप्त करने पर यह समस्याएं हल हो जायेंगी। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

माननीय सदस्यों ने संविधि के विद्यमान रूप का अवलोकन किया है। उन का कार्य यह था कि स्थिति को देखते हुए ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिशें की जायें जिन से अच्छे परिणाम प्राप्त हों। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये थी। यह कहना उन का काम नहीं था कि महाराष्ट्र प्रारूप ही सर्वत्र अंगीकृत किया जाये। संविधि कुछ भी हो, परम्परायें स्थापित की जा सकती हैं, प्रशासनिक पद्धतियां निर्धारित की जा सकती हैं जिन से सही प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें जहां पदाधिकारियों में दल के रूप में मिल कर काम करने की भावना

†मूल अंग्रेजी में

ओर समन्वय हो। प्रशासनिक पदाधिकारियों की ओर भी निर्देश किया गया था। किन्तु उन का काम तो समन्वय का था ताकि सब दिशाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। श्री वी०टी० कृष्णमाचारी ने उचित ही बताया है कि राज्यों को परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये। जिला प्रशासन, परिषदों, और खंड समितियों, पदाधिकारियों और गैर पदाधिकारियों के बीच भी ऐसे ही सम्बन्ध स्थापित किये जायें तथा राज्य संगठनों के विभिन्न स्तरों पर परस्पर सम्बन्ध निर्धारित कर दिये जायें।

जब इन संस्थाओं की परिकल्पना की गई थी तो मुख्यतः यह उन के विकास कार्य और तत्सम्बन्धी बेसिक ऐजेंसियों के उद्देश्यों तक ही सीमित थीं। इस दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर उन के लिये उत्तरदायित्व निश्चित कर दिया गया है। राज्य स्तर पर योजनाओं और कार्यक्रमों आदि के बारे में राज्य नीति निर्धारित कर दी गई है। फिर राज्य भी अन्तिम संस्था नहीं है। इन में संविहित शक्तियों का प्रश्न नहीं है। राज्य उन्हें इसलिये स्वीकार करते हैं कि उन की समान योजना और समान उद्देश्य से वे प्रभावित हैं क्योंकि समग्र देश का विकास इसी रूप रेखा पर करना है। योजनाओं की क्रियान्विति में राज्य को निरीक्षण करने और पथ प्रदर्शन देने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जिला परिषद् और पंचायत समितियों के पृथक पृथक कार्य हैं। यदि समानता की कमी है तो अनुभव को ध्यान में रखते हुए अच्छी योजना का विकास किया जा सकता है।

कलक्टर के कार्य पर भी बल दिया गया है। इस में भी विभिन्नता है। महाराष्ट्र में चीफ एक्जीक्यूटिव पदाधिकारी कलक्टर के समकक्ष है। इसीलिये वह अन्य काम भी करता है। कलक्टर को आपात स्थिति और विशेष स्थितियों के बारे में कुछ शक्तियां दी गई हैं। अतः अधिकांश कार्य दूसरे व्यक्तियों के हाथ में चला गया है। किन्तु इस स्थिति में भी कमिश्नर निरीक्षण आदि काम करता है। जहां पंचायत समितियों का काम वृहदकार है वहां कलक्टर का वही काम है जो कमिश्नर का अन्यत्र होता है। अतः हमें केवल प्रारूप की ओर ही देखना है। मेरा विचार है कि जिला स्तर पर और अधिक काम करना होगा। राजस्थान और अन्य राज्यों में जहां असंतोष है वहां यह आवश्यक नहीं है कि विधि में संशोधन किया जाये परन्तु समुचित प्रबन्ध द्वारा उसे किया जा सकता है। जिला परिषद् को और अधिक शक्तियां दी जा सकती हैं तथा राज्य सरकारें इन समस्याओं को हल कर सकती हैं। यदि वे यह अनुभव करें कि यह पर्याप्त नहीं हैं तो कानून में संशोधन किया जा सकता है।

माननीय सदस्य ने इन संस्थाओं के कर्तव्य के बारे में कुछ कहा है। उन्होंने राजनीति, निर्वाचन और दलों की चर्चा की। अन्य प्रश्नों का उत्तर देना मेरा काम नहीं है। इन का उत्तर अभी नहीं ढूंढा गया है। इसका कारण कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस पर विचार किया था। उन्हों ने अनुभव किया कि यदि वे चुनावों में भाग न लें तो अन्य पार्टियां इस का लाभ उठा सकती हैं। निर्बन्ध चुनाव हैं और पार्टी को उन में भाग लेने से कोई नहीं रोकता है। एक छोटा सा समुदाय है और कुछ पदाधिकारी हैं। यदि पार्टीके आधार पर काम किया जाये तो यह श्रेयेष्कर नहीं है। राजनीति से बाहर रहना ही उचित है। सामुदायिक विकास मंत्रियों ने भी यही दृष्टिकोण अपनाया है।

राष्ट्रीय एकता परिषद् का विचार था कि यद्यपि राजनीति को पृथक रखना ही वांछनीय है किन्तु अनेक राज्यों में परिस्थितियां अलग-अलग हैं। अतः इसके लिये कोई संहिता नहीं निर्णीत की जा सकती है। राजनीति का प्रश्न पार्टियों की सद्भावना पर छोड़ना ही ठीक है। इसे सीमित नहीं किया जा सकता है। जिला परिषद् स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं किन्तु निम्न स्तर पर भी लोग इन में रुचि लेने लगते हैं। विधान सभाओं और संसद् के चनावों से इनका न होते हुए भी इनमें प्रभाव परिलक्षित होता

[श्री नन्दा]

है। लोगों को राजनीतिक चेतनता और राजनीतिक उद्देश्य में रुचि है अतः वे इसमें भाग अवश्य लेंगे। मेरी राय यह है कि सेवा द्वारा लोगों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। जनता उन्हें चुनेगी जो उन की भली प्रकार सेवा करने के इच्छुक हों। यदि किसी पार्टी में योग्य और सेवा भावी व्यक्ति हों तो वह पार्टी उन व्यक्तियों को अवसर प्रदान करेगी। यह पार्टी के आधार पर नहीं अपितु समुदाय की सेवा सहायता और उसे विकसित करने की क्षमता पर निर्भर है। राजनीतिज्ञ और एक्जीक्यूटिव पदाधिकारियों के कार्य में मध्यम मार्ग ढूंढ़ना है। आने वाले समय में इस की उपयागिता सिद्ध होगी। जनता की सद्भावना और इन संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों की आकांक्षा से परिणाम प्राप्त करने किये जा सकते हैं। जनता तब संतुष्ट होगी जब पंचायतें अधिक संसाधन एकत्र करें, उत्पादन कार्यक्रम बढ़ायें तथा ग्राम्य योजनाओं को उन्नत रूप में कार्यान्वित करें। यह बातें ही इन संस्थाओं की कसौटी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : स्वयं कांग्रेस पार्टी में प्रत्यक्ष रूप में जो भेदभाव है पहले उन का समाधान कीजिये ।

श्री नन्दा : कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है। (**अन्तर्बाधा**)

सामुदायिक विकास मंत्रालय ने श्री सन्थान के सभापतित्व में एक समिति स्थापित की है जो संसाधनों के प्रश्न पर विचार करेगी। समुचित शक्तियों के साथ समुचित संसाधन भी आवश्यक हैं। इन बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है।

†**श्री विभूति मिश्र** : कम्यूनिटी डिवेलेपमेंट के लिये आप ने जो साढ़े बारह लाख रुपया दिया है, वह ठीक से खर्च हुआ है या नहीं, इस को भी क्या आप ने कभी देखा है ?

†**श्री नन्दा** : ऐसी व्यवस्था करना है जिन के फलस्वरूप समन्वय का अभाव न रहे—एक पक्ष और दूसरे पक्ष में संतुलन में विघ्न उपस्थित न हो। रिपोर्ट में इस की चर्चा नहीं की गई है। इस में कुछ सन्देह है कि भविष्य में इन कार्यों का क्या स्वरूप होगा। यह संविधि अथवा नारे लगाने का प्रश्न नहीं है ; यह तो भावना और इच्छा की बात है। सब को मिल कर काम करना है। हम यह क्यों विचार करें कि राज्य, जिला और पंचायत समिति में एक दूसरे के बीच खाड़ी उत्पन्न हो रही है। ये सब एक हैं। हमें इन की एकता को अक्षुण्ण रखना है। इस बात की ओर बल देना है कि मिला जुला और एकतापूर्ण ढांचा रहे। यह कुछ परम्पराओं और पद्धतियों को विकसित करने का प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ने पर इस के अच्छे परिणाम निकलेंगे। हमारा अतीत सर्वथा इस प्रवृत्ति के अनुकूल है। युग की मांग है कि यह कार्यक्रम सफल हो कर और योजना संकटकाल दोनों ही दिशाओं में उपयोगी सिद्ध होगा।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : क्या मा० मंत्री इस प्रकार के प्रयोग के लिये इसे उचित समय समझते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : इस आपत्काल में क्या इतना व्यय और व्यक्ति लगाना उचित है ?

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : प्रशासन तथा सेवाओं में अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है जिस से कर्मचारी लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। इन को रोकने के लिये

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार द्वारा किये गये कामों की वास्तविक स्थिति क्या है ? रिपोर्ट की सिफारिशों को कहां तक सरकार कार्यान्वित करने को तैयार है ? और कलक्टरों को तत्काल लेने के बारे में क्या स्थिति है ?

†**श्री त्यागी** : मंत्रियों के पास कारण बताये बिना ५५ वर्ष के पश्चात् सेवा में न रखने का अधिकार होने से, ५५ के बाद सेवा में जारी रहना अपने आप नहीं होगा । अतः उन को मंत्रियों की चापलूसी करनी पड़ेगी और इस प्रकार उन में आत्म विश्वास तथा उत्साह बना नहीं रह सकता ।

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : मसूरी अकादमी की सलाहकार परिषद् में प्रसिद्ध नेताओं को लेने का उल्लेख है, क्या वे कांग्रेसी होंगे या राजनीतिक आदि ?

†**श्री जसवन्त मेहता** (भावनगर) : क्या सरकार ने इस प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण योजना के अधीन प्रविधिक कर्मचारियों की सामान्य पदालि बनाने का विचार किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : मा० मंत्री ने ग्राम पंचायत तक राजनीति के न जाने की बात कही है, क्या यह सम्भव है जबकि गांव मतदान के भण्डार हैं ?

†**श्री नन्दा** : संक्षेप में इतना कहूंगा कि कार्यान्विति के सम्बन्ध में शायद मा० सदस्य ने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया था । मैं ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया था कि यहां गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाली कुछ सिफारिशें हैं जिन के बारे में उन्हों ने वक्तव्य दिया है कि इतनी स्वीकार की जा चुकी हैं और इतनी विचाराधीन हैं । अतः यह प्रयत्न जारी है कि जहां तक संभव हो इन सिफारिशों के सम्बन्ध में एक कार्रवाई की जाय । पंचायती राज के सम्बन्ध में सामुदायिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि वे इस से सहमत हैं । राज्यों को चित्र में लाना होगा और यह किया जा रहा है । इस समय मैं और क्या कह सकता हूं ? जितना व्यय करना होगा और जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है उस का ध्यान करते हुए आया ये नई बातें करना उपयोगी है, अधिकतर स्थानों पर विधान तैयार है और अधिनियमित किया जा रहा है और आगे बढ़ रहा है । यह वहां कोई नई बात नहीं । यह प्रगति पर है । दो या तीन राज्यों में विधान की जांच हो रही है । यदि वास्तव में उन से अन्य परिणाम मिलने की आशा की जाती है, लोगों को अधिक सक्रिय ढंग से लाने के लिये, अधिक को लेने के लिये, यदि हमारा अनुमान यही है तो संभवतः यह करना लाभदायक होगा, किन्तु अब प्रश्न कुछ रुका हुआ है । मैं समझता हूं कि कांग्रेस से बाहर के भी कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति सलाहकार परिषद् में होंगे । सामान्य पदालियों के बारे में पंचायत समितियों की अपनी पदालियां निम्न स्तर पर हैं ।

नीतियों के बारे में तथा क्या इसे निकाल देना मानवीय ढंग में सम्भव है, के बारे में, मनुष्य सब कुछ कर सकता है नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है और प्रश्न इस बात का है कि हम कितना संयम रखन को तैयार हैं ।

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि सरकार शेष सत्र में सभा के सामने निम्न कार्य प्रस्तुत करना चाहती है :

(१) आज की कार्य सूची में से बकाया किसी कार्य पर विचार ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

(२) श्रम जीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक, १९६२

आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक, १९६२

पर विचार तथा पास करना ।

(३) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार ।

(४) संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार ।

(५) केन्द्रीय शिशिक्षा परिषद् नियम, १९६२ और शिशिक्षा नियम, १९६२ में परिवर्तन के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दी गई सूचना वाले प्रस्तावों पर विचार ।

(६) राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार तथा उसे पारित करना ।

(७) अत्यावश्यक वस्तुओं की उचित स्तर पर कीमतें कायम रखने के उपायों के संबंध में श्री इन्द्रजीत गुप्त एवं अन्य सदस्यों के प्रस्ताव पर विचार ।

(८) सोमवार, १० दिसम्बर, १९६२ को चीनी युद्ध विराम सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार ।

यह कार्य इसी क्रम से लिया जायगा जिस क्रम में इस की घोषणा की गई है । इस में इस बात का ध्यान रखा गया है कि सभा ने शनिवार ८ दिसम्बर, १९६२ को बैठना स्वीकार किया है । आप की तथा सभा के कुछ वर्गों की पूर्व इच्छा के अनुसार, मैं ने इस कार्य में श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२ को शामिल किया है, जिस पर आज के बकाया कार्य के पश्चात् कल को विचार किया जायगा ।

आपातकालीन जोखिम बीमा सम्बन्धी दो विधयकों पर शुक्रवार, ७ दिसम्बर, १९६२ को विचार किया जायगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक को आज ही रखा जाय जैसाकि पहले व्यवस्था थी । अन्य विधेयकों के लिये हमें समय मिलना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं पूर्व सूचना की बात हटा दूंगा ।

†**श्री हरि विष्ण कामत** : हम ने सब संशोधन नहीं दिये हैं । अतः आयकर विधेयक के बाद इसे ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसा संभव है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : जी हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारा सारा समय निश्चित किया जा चुका है अतः यदि मैं पीठासीन न रहूं तो प्रत्येक सभापति को चाहिये तथा सदस्यों को चाहिये कि समय को बढ़ने न दें ताकि कार्य निश्चित समय में पूरा हो जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** (देहरादून): उच्च न्यायालय के जजों की वार्धक्यता आयु को बढ़ाने के विधेयक का क्या हुआ है ?

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं बता चुका हूं कि संविधान (पन्द्रहवां) संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति को देने के लिये विचार किया जायेगा । उस प्रस्ताव के इलावा उस में कई संशोधन हैं ।

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : माननीय मंत्री ने निर्देश पदों की सीमा का उल्लेख किया था परन्तु रिपोर्ट में ये सब बातें आ गई हैं. अर्थात् जिला प्रशासन के सम्बन्ध में । निर्देश निबन्धनों में जिला प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नों का उल्लेख किया गया है । आज द्वैततंत्र लागू कर रखा है और उस से भ्रम तथा फिजूल खर्ची फैली हुई है और कर्मचारी लोग निरुत्साहित हैं । किसी प्रकार का समन्वय नहीं है । किन्तु इस बात का कोई भी उत्तर नहीं दिया गया है हालांकि इस का प्रभाव बहुत बुरा पड़ा हुआ है ।

पिछले आम चुनावों में साधारण नागरिक की प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें ही शिकायतें थीं और वे समस्याएं जिला प्रशासन के पास हल करने को सौंपी हुई हैं ।

†**श्री त्यागी** : भ्रष्टाचार ।

†**श्री नन्दा** : मैंने विलंब, भ्रष्टाचार आदि के संबंध में एक लेख में सब बातों का उत्तर दिया है। मैं इसे सभा पटल पर रखूंगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जिला प्रशासन में जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या के हल के लिये जाता है तो उसे इधर से उधर भेज दिया जाता है, और उसके साथ समुचित व्यवहार नहीं किया जाता । जिला प्रशासन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस के पास नागरिक अपनी समस्या को हल करने के लिए जाए? इस रिपोर्ट में सब कुछ होते हुए हमारी प्रतिदिन की समस्या का कोई हल नहीं दिया गया, जिनको मा० मंत्री आदि सब जानते हैं। इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं वे विकास आयुक्तों के सम्मेलन में की गई तथा स्वीकृत सिफारिशें ही हैं, कोई नहीं बात नहीं। द्वैततंत्र के कारण किसी नागरिक को समस्या का हल नहीं मिलता ।

†**श्री नन्दा** : मुख्य समस्याएं हम जानते हैं, वे सरल हैं और सभी उपाय भी मालूम है। उनको पूर्ण रूपेण लागू करना है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : किंतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

इस समय जिला प्रशासन में कनिष्ठतम अफसर हैं—यही कमजोरी है क्योंकि सभी वरिष्ठ आई० ए० एस० अफसर राजधानी में जमा कर रखे हैं। आई० ए० एस० अफसर काफी अच्छे होते हैं और उनको उचित स्थान पर लगाना चाहिये । किंतु इस बात का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रक्रिया को बदलने का प्रयास होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

कुछ राज्यों में आई० ए० एस० अफसरों की बड़ी कमी है, तथा कुछ राज्यों में वे बहुत हैं। अतः इस बात की युक्ति युक्तता नहीं है। कई राज्यों में इन की पदालियों में कोई वृद्धि नहीं की गई बल्कि मद्रास और राजस्थान में कमी हुई है। २१०० तक इस पदाली की अधिकतम संख्या होनी चाहिये ताकि ३०० अफसरों की बचत से २५ लाख रुपये वार्षिक बचत हो सके। इसके लिये समुचित उपाय ढूंढने चाहियें।

विशेष वेतन भी समाप्त करके बचत करनी चाहिये। जिला प्रशासन में काम करने वाले अफसरों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ताकि उनके साथ सौतेली मां वाला सलूक न हो।

राज्यों में सीधी भरती के बारे में श्री दातार ने बहुत कुछ कहा था। तीन चार राज्य कर भी रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा भारतीय तथा राज्य प्रशासन सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्या के बारे में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन पर जो ७ सितंबर, १९६२ को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा ४ दिसंबर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी :

"कि आयकर अधिनियम, १९६१ और धन-कर अधिनियम, १९५७ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार किया जाये।"

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): मैं इस विधेयक के उपबंधों का स्वागत करता हूं। मैं स्वर्ण बांडों या प्रतिरक्षा बोर्डों पर आयकर आदि की छूट देने का विरोधी नहीं। कम आय वाले लोगों को इस रियायत का कोई उपयोग नहीं होगा, क्योंकि उन पर आयकर आदि पहले से नहीं लगते। बड़े धनवान लोगों को लाभ अवश्य होगा। उनको राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये धन लगाने के लिये इस उपाय द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है।

स्वर्ण बांडों के द्वारा छिपा हुआ स्वर्ण बाहर निकल आएगा। किंतु मध्यम श्रेणी के लोगों ने १४० रुपये तोला सोना खरीद कर आभूषण बनाये हैं और अब उनको ६२.५ रुपये तोला से भी मूल्य दिया जा रहा है उस पर ६½ प्रतिशत का १५ साल का ब्याज लगाकर ६५.६२ रुपये मिलेंगे। मध्यम श्रेणी के पास बहुत अधिक आभूषण नहीं होते कि वे स्वर्ण बांड खरीद सकें। किंतु वे फिर भी देश प्रेम के कारण स्वर्ण बांड खरीद रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े लोग तो अपना छिपा सोना निकाल लेंगे परन्तु छोटे लोगों को लाभ के स्थान पर हानि होगी । किंतु फिर भी छोटे लोग स्वर्ण दे रहे हैं तथा देश के लिये हर प्रकार का बलिदान करने को तैयार हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

किन्तु धनी लोगों के लिये आप धन लौटाने तथा ब्याज देने की गारंटी दे रहे हैं । अधिक समय काम करने के लिये श्रम जीवी लोगों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा । किंतु वित्त मंत्रालय ने कोई नया कर लगाने का प्रयत्न नहीं किया जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष में जाता ।

मैं इस उपाय को अच्छा समझता हूं क्योंकि इससे सोने के द्वारा विदेशों से प्रतिरक्षा का सामान खरीदा जा सकता है। देश में सोने की अधिक कीमत होने के कारण सोने के तस्कर व्यापार की काफी गुंजाइश है जो राष्ट्र के लिये घातक है। स्वर्ण बांडों के कारण सोने का मूल्य गिर गया है और अधिक गिरेगा । और तस्कर व्यापारियों को निरुत्साहित होना पड़ेगा । इससे अपराध रोकने में भी सहायता मिलेगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कुं० कृ० वर्मा (सुल्तानपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सम्मुख जो टक्सेशन लाज (एमेंडमेंट) बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यों तो जो टैक्सेशन लाज १९५७ में इस माननीय सदन के सामने प्रस्तुत हुए थे, उनको पारित करके हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। मैं समझता हूं कि हमने उसके द्वारा भारतवर्ष के आर्थिक क्षेत्र में एक नये युग का उद्घाटन किया था। जो आर्थिक व्यवस्था उस वक्त बनाई गई थी, उससे समाजवादी समाज की स्थापना की हमारी नीति को क्रियान्वित करने में और, हमारे समाज में पूंजीवादी श्रेणी तथा अन्य श्रेणियों के दरमियान में जो अन्तर था, उसको कम करने में भी हम लोगों को काफी सहयता मिली।

जहां हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया था कि हम समाजवादी समाज की स्थापना के लिए हर एक कदम उठायेंगे और उसने हम को उस वक्त उन टेक्सेशन लाज को लाने और पारित करने के लिए उत्साहित किया, वहां चीनी आक्रमण की वजह से हमारे देश पर जो संकट आया, उसने हमारे वित्त मंत्री की तीव्र बुद्धि को इस तरफ संकेत दिया कि वह सोने के बारे में एक नई नीति की घोषणा करें। उस नीति से हमारे देश को समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला। इस लिए सरकार ने जो गोल्ड बांड्ज प्रचलित किये हैं, उनके लिए मैं उसको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि संसार के प्रगतिशील राष्ट्रों में सोने का जो प्रयोग होता है, हमारे देश में सोने का प्रयोग उसके बिल्कुल विपरीत होता है, जो कि प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता है। हमारे देश में सोना बेकार सा पड़ा रहता है, तिजौरी में पड़ा रहता है या जिस्म की, बदन की, महज शोभा की चीज रह जाता है । मैं समझता हूं कि किसी भी प्रगतिशील देश के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार की व्यवस्था और परम्परा में परिवर्तन किया जाये , जो कि हमारे समाज में–विशेष तौर पर महिला समाज में–सोने के विषय में चली आ रही है ।

मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी को हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने सभी आभूषण राष्ट्रीयसुरक्षा कोष को दान दे दिये। हमारी महिला सदस्यों ने भी इस ओर काफी अच्छा कदम उठाया है। मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी समाज कल्याण सोसाइटीज हैं, जितने विभाग हैं, या हमारी महिला सदस्यायें

[श्री कुं० कृ० वर्मा]

है, ये सब इस बात के लिये प्रयत्न करें कि गोल्ड बांड्ज की ज्यादा से ज्यादा खरीददारी हो। मेरे ख्याल में जितने और प्रयत्न हम इस वार एफर्ट के बारे में कर रहे हैं, उतने ही प्रयत्न हमें इस बारे में भी करने चाहियें, उतना ही हमें इस पर भी जोर देना चाहिये। इस वक्त जो संशोधन लाया गया है, इससे अगर लोग चाहें तो व्यक्तिगत फायदा भी उठा सकते हैं, व्यक्तिगत लाभ भी उठा सकते हैं। इससे इन लोगों का उत्साह बढ़ना चाहिये। यह एक मौका है, जिसका उनको लाभ उठाना चाहिये।

मैं समझता हूं जो हमारे देश का इतने दिनों का दृष्टिकोण है, जो इतने दिनों की मनोवृत्ति है, जो व्यवहार है और जिस के हम आदी हो गये हैं, इसमें परिवर्तन आना चाहिये था। एक क्रान्तिकारी कदम जो इस वक्त उठाया गया है इससे भी उस मनोवत्ति को बदलने में सहायता मिलनी चाहिये। लोगों को चाहिये कि वे इससे लाभ उठायें और जो यह पालिसी है, इसको कार्यरूप में परिणत करें। सिर्फ चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए ही नहीं हमें कदम उठाने हैं। बल्कि इस तरह के कदम भी उठाने हैं। जब हम इस तरह के कदम उठाते हैं तो इनको ऐतिहासिक कदम ही कहा जा सकता है। हमारे देश की बहुत सी समस्यायें हैं। सोने की केवल समस्या नहीं है। वे समस्यायें और कई वजहों से भी हैं। अगर सोना मिल जाता है तो उन समस्याओं को भी हल करने में आसानी हो सकती है। उनको हल न कर पाने के रास्ते में जो कठिनाइयां हैं, वे भी दूर हो सकती हैं और इससे बाहरी देशों का माल खरीदने में भी हम को सहायता मिल सकती है

मैं समझता हूं कि जो संशोधन इस वक्त प्रस्तुत किया गया है उसकी वजह से लोगों में नेशनल डिफेंस फंड में भी जो रकम वे दे सकते हैं, उसको देने में उत्साह पैदा होगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जितने धन की हमको आवश्यकता है, उसका काफी बड़ा भाग हम लोगों से ले सकेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह सही है कि अभी तक जितनी खरीददारी गोल्ड बांड्ज की होनी चाहिये थी, उतनी नहीं हुई है। इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। मैं यह भी चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि जो सरकारी एजेंसीज हैं, वे भी इस पर अधिक बल दें, इस पर अधिक जोर दें कि गोल्ड बांड्ज को लोग अधिकाधिक मात्रा में खरीदें। इसके लिए लोगों को उत्साहित करें।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सोने के बांडों के सम्बन्ध में जो कुछ मेरे दिमाग में विचार आए हैं, जो कुछ मुझे अनुभव हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन आपके सामने कर दूं। यह बहुत अच्छी बात है कि सोने के बांड जारी किए गए हैं। इससे हो सकता है कि कुछ सोना घरों से बाहर निकले। लेकिन इसमें जो एक कमी आई है, उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं एक ऐसे प्रान्त से आ रहा हूं जिसको राजस्थान कहा जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आप मानें या न मानें लेकिन सारे हिन्दुस्तान का सोना अगर एक तरफ रख दिया जाए और अकेले राजस्थान का दूसरी तरफ तो भी आप पायेंगे कि राजस्थान में सोना ज्यादा है। बैलेंस में आप राजस्थान के सोने को बाकी सारे देश के सोने से ज्यादा पायेंगे।

श्री शिव नारायण (बांसी) : सोने वाले हैं।

श्री प० ला० बारूपाल : लेकिन मेरा सिर शर्म से नीचे झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि जिन व्यक्तियों के पास सोना तिजोरियों में भरा पड़ा है उसको वे आज भी इस संकटकाल

में जबकि छोटे से छोटा और गरीब से गरीब व्यक्ति और महिला भी, अपने नाक और कान के तिनके दे रहे हैं, परन्तु धन नहीं दे रहे हैं। जो कुछ भी लोगों के पास है, उसको आज उठा कर वे रक्षा कोष में देना नहीं चाहते हैं। लेकिन दूसरी के मुकाबले में राजस्थान की ओर जब मैं देखता हूं तो पाता हूं कि उनको जो करना चाहिये ,वह उन्होंने नहीं किया। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रान्त से मैं आता हूं, वहीं के लोगों को मैं इसके लिए कोस रहा हूं।

लेकिन जो लाभ उन लोगों को हुआ है, उस लाभ का अन्दाज़ा नहीं आंका जा सकता है। तमाम ब्लैक का रुपया जिसको दो नम्बर का रुपया कहा जाता है, इस बिल के ज़रिये से बाहर आ रहा है और लोगों को काले रुपये को सफेद रुपये में परिणत करने का मौका मिल गया है। इस व्यवस्था से उन्होंने नाजायज़ तौर पर और अनुचित लाभ उठाया है। उनको चाहिये कि वे ईमानदारी से अब भी काम करें। अब सरकार ने उनके साथ इतना कुछ किया है, इतना मौका दिया है, इतना प्रलोभन दिया है, तो उनको भी चाहिये कि काले बाज़ार में जो पैसा उन्होंने कमाया है, तस्कर व्यापार से कमाया है उसको वे बाहर लायें और इस संकटकालीन समय में सरकार की सहायता करें। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अब उनको आगे आना चाहिए।

इस संकटकालीन समय में सरकार को और काम करने हैं। क्रान्तियां और करनी है। एक आर्थिक क्रान्ति है, दूसरी धार्मिक क्रान्ति है और तीसरी सामाजिक क्रान्ति करनी है। जब तक हम इन तीन क्रान्तियों को नहीं कर लेते हैं, तब तक हम प्रगति पथ पर नहीं बढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आज देश के अन्दर एक प्रकार की चेतना आई है और जिस प्रकार से हमारा देश एक दम जाग उठा है, एक मत होकर सरकार की मदद कर रहा है, वह सराहनीय है।

चीन ने जो चुनौती आज दी है, उसका हमें सामना करना है। आज जो समय के साथ नहीं चेते हैं उनको चत जाना चाहिये। उनको सरकार का पूरा पूरा साथ देना चाहिये। यह मौका हाथ में आया है, उसका नाजायज़ लोगों को लाभ नहीं उठाना चाहिये। धनी लोग जब भी मौका लगता था, सरकार से नाजायज़ फायदा उठाते थे, उनको अब वह मौका नहीं दिया जाना चाहिये। इलैक्शन के दिनों में लोग दो दो और चार चार लाख रुपया दे देते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वही आज सहायता का हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आज जब संकट का समय आया है, तब उनका कोई पता नहीं चल रहा है। जिस तरीके से.....

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी को ही दिया था।

श्री प० ला० बारूपाल : यह लोग सब पार्टियों को दिया करते हैं। सोशलिस्ट पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टीज़ हो। यह उनका एक प्रकार का धंधा है। वे किसी भी तरीके से अपना उल्लू सीधा करते हैं। यह एक आम बात थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। राष्ट्र की बात है। राष्ट्र की आज यह पुकार है। मेरी वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उन लोगों के साथ वे ज्यादा मेहरबानी से पेश आये हैं अब उन लोगों की वे ज्यादा हिमायत न करें। उनको वे ज्यादा राहत न दें। क्योंकि इस तरह की चीज़ों को अब तक राष्ट्र बरदाश्त करता आया है, तो भविष्य में वह इस तरह की चीज़ों को बरदाश्त नहीं कर सकता है और न ही करेगा।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहांडी) : यह संकट काल हमारे लिये एक प्रकार से अच्छा रहा है क्योंकि हमें अपनी राजकोष सम्बन्धी नीति में संशोधन करने का अवसर मिला है।

विधेयक में धन जमा करने तथा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बांडों में धन आने के लिये कुछ रियायतें दी गई हैं। आय कर तथा सम्पत्ति कर से छट की रियायतें देने से लोग खूब धन राष्ट्रीय कोष में लगायेंगे। अनुत्पादक स्वर्ण संग्रह को देश के उपयोग में लाने का इससे उत्तम अवसर क्या हो सकता है। हमें देश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

की रक्षा के लिये विदेशी मुद्रा की जरूरत है। यहां सोने की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमाणित मूल्य से कहीं अधिक है। तस्कर व्यापार भी चल रहा है। यह सब गलत राजकोषीय नीति के कारण हुआ है। स्वर्ण बांड के लिये प्रत्युत्तर बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं है हालांकि ६॥ प्रतिशत ब्याज इस पर मिलेगा, और स्वर्ण प्राप्ति का स्रोत भी पूछा नहीं जाएगा। अब चोरी से प्राप्त किया गया धन भी श्वेत धन में बदला जा सकता है। इतनी रियायतें देने पर हमें आशा थी कि मूल्य बढ़ेंगे, किन्तु मूल्य नहीं बढ़ाये बांडें वाणिज्यिक रूप में प्रलोभनीय नहीं हैं क्योंकि सोने का मूल्य ६२.५ रुपये तोला रखा गया है जबकि बाजार में इसका मूल्य १४० रुपये है। फिर भी लोग बलिदान और त्याग कर रहे हैं। यह बड़ी देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन है।

अतः मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को यह सोना सोने के रूप में ही लोटाना चाहिये, या ये स्वर्ण बांड प्रचलित स्वर्ण मूल्य पर दिये जायें। यदि इनमें से एक भी बात कर ली जाए तो निश्चय ही बहुत सोना हमें मिल सकता है और विदेशी मुद्रा की कठिनाई नहीं रह सकती।

देश की रक्षा इन स्वर्ण बांडों को ही मांगने से नहीं हो सकती। यद्यपि हमें विदेशों में उधार खाते पर शस्त्रास्त्र मिल रहे हैं, हमें सोचना चाहिये कि यदि हमें उन देशों से दान या अनुदान के रूप में शस्त्रास्त्र मिल सकें तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है।

तटस्थता की नीति के बारे में हमें स्वतन्त्र रूप से विचार करना चाहिए। हमें देश की स्वतन्त्रता तथा एकता को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ प्रतिरक्षा समझौता करने के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करने में हमें शस्त्रास्त्र भी मिल सकेंगे और विदेशी मुद्रा की भी बचत हो सकेगी।

सामुदायिक विकास आदि के जितने अनुत्पादक काम हैं उनको देश की रक्षा के कारण काट देना चाहिए। सरकार को इन सब सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

†**श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा** (खम्मम): मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। युद्धकाल में नारियों को सबसे अधिक हानि होती है, उनके पुत्र, भाई और पति युद्ध में लड़ते हैं, मरते हैं। नारियों का मान भी भंग होता है और उनका स्वरूप भी बिगाड़ दिया जाता है। किन्तु मां की पुकार अशोक जैसे योद्धा को शान्तिप्रिय भी बना सकती है। अब नारियों ने ही स्वर्ण बांडों में अधिक सोना देना शुरू किया है। उनकी अज्ञानता को दूर करके उन्हें देश की रक्षा हेतु सोना देने को तैयार होना चाहिए। किन्तु कुछ नारियों ने बैंकों से अपना सोना निकाल कर घर में रख लिया है, उन्हें युद्ध के परिणामों का ज्ञान नहीं।

अतः सरकार को प्रचार करना चाहिये ताकि सोना स्वर्ण बांडों में आ सके। उनको सोने की रक्षा और इसको जमा रखने की अनुत्पादकता बतानी चाहिये।

हमें प्रतिरक्षा के लिये तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाई को दूर करने के लिए स्वर्ण बांड जारी करने पड़े हैं क्योंकि हमें शस्त्रास्त्र अन्य देशों से खरीदने हैं। यह उत्तम उपाय है और इसके अनेक लाभ हैं। किसी ने कहा है कि इतने कम मूल्य पर स्वर्ण बांड अधिक नहीं बिकेंगे। परन्तु मुझे विश्वास है कि सोने की कीमत अवश्य गिरेगी। अतः स्वर्ण बांड बड़े लाभदायक हैं। इनसे ब्याज भी मिलेगा।

नारियों के पास सोने के आभूषण होते हैं, परन्तु उनसे स्वर्ण बांड खरीद कर उनको शादी विवाह के लिये अपेक्षित सोना नहीं मिल सकता। अतः ऐसा उपबन्ध किया जाना चाहिये कि वे इन स्वर्ण

---

†मूल अंग्रेजी में

बांडों को गिरवी रख कर धन प्राप्त कर सकें। इससे नारियों को अपने आभूषण इन बांडों में लगाने का उत्साह होगा ।

हैदराबाद में लोगों के पास, विशेषकर निजाम के पास बहुत सोना है। सरकार को प्रयत्न करके उनको स्वर्ण बांडों में सोना लगाने के लिय प्रेरित करना चाहिये । ऐसे लोगों का पता लगाया जाए कि किन के पास सोना है फिर उनको प्रेरित किया जाए। मन्दिरों से सोना प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन लिया जा सकता है, और हमें मन्दिरों से सोने को लेने के लिये उनको स्वर्ण बांड खरीदने के लिये कहना चाहिये ।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिल में जो धाराएं रखी गयी हैं वे स्वागत के योग्य हैं। किन्तु फिर भी यह सोना जो नहीं आ रहा है इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है।

अखबारों में पढ़ते हैं कि जनता के पास १०० मिलियन आउंसेज़ गोल्ड है। छिपा हुआ सोना लगभग ५० करोड़ तोला है जिसकी कीमत तीन हजार करोड़ बनती है इण्टरनेशनल गोल्ड प्राइस के ऊपर। अगर यह बात सही है तो फिर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि यह कहां छिपा हुआ है, किस वर्ग के पास छिपा हुआ है। बड़े वर्ग के लोग तो जवाहरात भी रखते हैं, मोती भी रखते हैं, सोना भी रखते हैं। क्या सरकार को यह भी आज तक पता नहीं चल सका है कि वास्तव में स्थिति क्या है और उनके पास क्या आंकड़े हैं यह जानना आवश्यक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त इसमें ब्याज की दर ६ परसेंट है। इसलिए जिनके पास ब्लैक का सोना है उनको वह इसमें फौरन ही दे देना चाहिए। यह उनके लिए सब तरह से लाभदायक होगा। अगर उनके पास ब्लैक का सोना नहीं है तो फिर किस के पास है इस पर भी विचार करना चाहिए। यह बहुत गम्भीर समस्या हमारे सामने पैदा हो गयी है। या तो इस देश में इतना सोना नहीं जितना कि प्रचार है या फिर प्रचार होते हुए भी लोग सोना देना नहीं चाहते और इस वक्त भी नहीं देना चाहते जब कि देश के ऊपर आपत्ति आयी हुई है। अगर लोगों के पास सोना है और वे नहीं देना चाहते, तो फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाए इस पर विचार करना आवश्यक हो जाएगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि यह समस्या बहुत जटिल है। जब तक यहां पर सोने के भाव उतने नहीं आ जायेंगे जितने कि इण्टरनेशनल स्तर पर हैं तब तक इस समस्या का वास्तविक हल होने वाला नहीं है। वह भाव कैसे गिरेगा। उसके लिये क्या किया जाए। मैं समझता हूं कि अब तक सरकार ने जितना कण्ट्रोल और चीजों पर किया है उतना गोल्ड पर नहीं किया है। गोल्ड के व्यापारी फ्री सेल करते हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाये और उन पर किस प्रकार प्रतिबन्ध लगाया जाए यह सोचना आवश्यक है। हमको इस बात पर भी प्रतिबन्ध लगाना होगा कि विवाहों के अवसर पर एक मात्रा से अधिक सोना न दिया जाए। जब सरकार इस प्रकार के कदम उठाएगी तभी इस समस्या का निदान निकल सकेगा।

जहां तक ब्लैक मनी का प्रश्न है, अगर उसका लोगों ने गोल्ड लेकर रखा है, और फिर भी वह सामने नहीं आ रहा है तो इसमें भी कोई रहस्य की बात है। सरकार को इसको जानना चाहिए और उसके पास इसे जानने के बहुत साधन हैं। मेरा तो यह सुझाव है कि जितने हमारे करोड़पति लोग हैं उनकी कानफरेंस की जाये और उनको बिठा कर इस बारे में सलाह की जाये और यह जाना जाय कि उनका इस बारे में क्या दृष्टिकोण है, उनकी क्या कठिनाई है, क्या वास्तव में यह प्रचार मात्र है कि देश में इतने करोड़ का सोना है और वास्तविकता ऐसी नहीं है।

जहां तक साधारण वर्ग का प्रश्न है वह विवाहों के लिए सोना खरीदता है। देश में हर साल करीब ५० लाख विवाह होते हैं और उनमें से कम से कम दस प्रतिशत विवाह होते हैं जिनके लिए लोग बीस, पच्चीस, तीस तोला तक सोना खरीदते हैं जिसकी कीमत १५० या २००

[श्री काशी राम गुप्त]

करोड़ रुपये होती है। सरकार यह मानती है कि चालीस या पचास करोड़ का सोना हर साल स्मगिल होता है भावों के कारण। स्मगलिंग का कोई दूसरा कारण नहीं है। जब तक भावों को गिराने और स्मगलिंग को रोकने के लिए साथ साथ कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक इस कानून को पास करने से कोई खास लाभ नहीं होगा।

सरकार को गोल्ड बांड्स का ऐलान किये काफी अरसा हो गया, कानून की शक्ल तो हम इसको अब दे रहे हैं, लेकिन इस अरसे में कितना सोना सरकार के पास आया ? उसकी कितनी कीमत है यह भी आज तक सरकार नहीं बता सकी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि कितना सोना उसके पास अब तक गोल्ड बांड्स के जरिये आया है और किस वर्ग से आया है। जाहिर है कि अगर यह सोना बड़े वर्ग के लोगों से आया है तो यह अन्दाजा निश्चित रूप से लगाया जा सकता है कि ब्लैक का रुपया कहां था। ब्लैक के अलावा जो और सोना है उसका मूल्य भी बहुत है। करोड़पति और लखपति लोगों के एक एक घर में स्त्रियों के पास लाखों रुपये के जेवर हैं। वे उन जेवरों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। हमारे सामने यह बात रोज आती है कि वे लोग लाखों रुपया अपनी कम्पनियों में से फंड में देते हैं, बांड्स में देते हैं, लेकिन उनको सोने से इतनी मुहब्बत है कि उसको वे नहीं छोड़ सकते, चाहे वे राजे महाराजे हों, या करोड़पति हों, लखपति हों या सरकारी कर्मचारी हों। अगर हम सन् १९२० के बाद महात्मा जी की बात मानते तो हम को यह सोने की मुहब्बत न होती, न ब्लैक होता और न सरकार को आज सोना लेने की आवश्यकता होती। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को पास करने के साथ साथ सरकार को वे कदम उठाने चाहिएं जिनसे सोने के भाव गिर जायें, जिससे लोग अपने आप सोना देने के लिए सामने आयें और आयन्दा लोग सोने को न खरीदें। इसके लिए सख्त नियंत्रण की जरूरत है। तीन दिन से हम अख़बारों में देख रहे हैं कि सोने का भाव अब घटने के बजाय बढ़ रहा है। अभी इमरजेंसी के डिक्लेयर होने पर सोने के दाम घटने की एक रौ चली थी और उस के भाव नीचे गये थे लेकिन अब फिर सोने के भाव बढ़ने लगे हैं। अब लोगों ने फिर सोना ख़रीदना शुरू कर दिया है। इमरजेंसी के अन्दर यह दृष्टिकोण बड़ा घातक है और इस से अव्यवस्था चलती है।

कलकत्ते के अन्दर जो १०-२० हज़ार व्यक्ति सोने के ज़ेवरात गढ़ाई वगैरह का काम करते हैं वे बेकार हो गये हैं क्योंकि लोग उनको जेवर गढ़ने वगैरह का काम नहीं दे रहे हैं। देश में अव्यवस्था का फैलना और इस तरह से बेरोज़गारी का फैलना बहुत ख़तरनाक बात है। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जिस वक्त यह गोल्ड बौंड्स की बात चली थी और हमारे वित्त मंत्री महोदय का बयान निकाला उस समय बहुत से लोगों ने डर के मारे बैंकों और तिजोरियों में जो थोड़ा बहुत सोना रखा हुआ था उसे निकाल लिया। मेरा कहना है कि यह मनोवृत्ति देश के लिए घातक है और इस को ठीक करने के लिए सरकार को क़दम उठाना चाहिए और देश में एक विश्वास का वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन लोगों के पास सोना है उन से सोना लेने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यह कहावत चली आई है :—

"आपत काल परखिये चारी, धीरज, धर्म, मित्र और नारी।"

आज वह समय आन पड़ा है। देश के ऊपर आपदा आई हुई है। ऐसे समय अगर कोई आदमी पैसा गाड़ता है, सोना गाड़ता है और देश की सुरक्षा के ख़ातिर सरकार को नहीं देता है तो उस से बड़ा विश्वासघाती और देशद्रोही व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता है।

मैं आज यहां बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं अपने उन मित्रों से सहमत नहीं हूं जिनका कि ख्याल है कि देश में सोना नहीं है। इस देश में सोना है, धन, दौलत है और उस की हमारे यहां कोई कमी नहीं है। जैसा कि वित्त मंत्री महोदय ने कहा है जहां से भी तुम को सोना मिले ले आओ, कोई उस पर चैकिंग नहीं होगी। मार्केट फ्री है भले ही कोई उसे ब्लैक कर के लाया हो या सफ़ेद कर के लाया हो, इस का कोई प्रश्न आज नहीं है। आज तो देश और सरकार को सोने की ज़रूरत है और इसलिए जिनके भी पास सोना हो चाहे वह उनके पास कहीं से भी और किसी तरह भी आया, वह सोना सरकार को देश की रक्षा के ख़ातिर दें। सरकार ने लोगों को अपना सोना देने के लिए एक फ़िक्स रेट दे दिया है अर्थात् साढ़े ६ परसेंट सोने पर सूद मिलेगा और पन्द्रह वर्ष के बाद वह दूना हो जायगा। जितनी रक़म दी थी उतनी सूद की हो जायगी। अब इस सोने को लेकर आये दिन जो डकैतियां, चोरियां होती हैं और कहीं नाक काटी जाती है तो कहीं हाथ काटे जाते हैं, इन से भी सेफ्टी हो जायगी। मेरी समझ में गोल्ड बांड्स के बारे में जनता में आवश्यक प्रीचिंग अभी तक नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इन स्कीमों के बारे में और सरकार जो इन पर सूद दे रही है उन के बारे में फाइनेंस विभाग ने कोई प्रोपैगंडा नहीं किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज़ का आप देश की जनता में प्रचार करें। स्कूलों में और हर एक स्थानों पर इस का प्रोपेगेशन करें कि किस तरह लोग देश की आड़े समय में सहायता कर सकते हैं और उस के साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। हमारे देश में धन कमाने की प्रवृत्ति नहीं है। हमारे देश में तो एक दूसरे की टांग खींचने की प्रवृत्ति है। लेकिन अमरीका में इस के बरअक्स है। मान्यवर, म फौरेन कंट्रीज़ हो आया हूं। **आई वाज़ बौर्न इन ब्रिटिश वैस्ट इंडीज़—जमैका**। मैं क्यूबा में भी रहा हूं और मैं बखूबी जानता हूं कि यहां और वहां में कितना डिफरेंस है। वहां एक गरीब आदमी ट्राई करता है कि वह मिलियनर हो जाय और जो मिलियनर है वह और ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन हमारे यहां उस के बरअक्स है। आज न किसी को ब्लकमार्केटर कहिये और न चोर कहिये, जो भी पैसा देश की सुरक्षा' में दे वह ले लिया जाना चाहिए क्योंकि इस समय देश को पसे की बहुत ज़रूरत है। यह बड़े संतोष का विषय है कि मुल्क तैयार है और वह अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाने को प्रस्तुत है। जो भी सोना, पैसा दे, सरकार हाथ बढ़ा कर ले। इस देश ने करवट बदली है। इतिहास के पन्ने बतलाते हैं कि सैकड़ों वर्ष गुज़र गये इस देश पर चंगेज़ खां का हमला हुआ था और आज फिर उसी चंगेज़ खां के ख़ानदान के चीनी लोगों ने हमारे देश पर हमला किया है। मैं अपनी सरकार से और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हू कि हम को उस इतिहास को भुलाना नहीं है। यह वही दिल्ली है जिसने कि अतीत में वह दिन देखे हैं। तैमूरी हमले को देखा, चंगेज़ी हमले को देखा और क्या क्या नहीं देखा। इसलिए हमें अपने इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। शिवा जी का इतिहास मैं ने पढ़ा है। आज हमारा देश बदला है, जागा है। हर एक देशवासी अपना सब कुछ देने को तैयार है, एक एक पैसा देने के लिए तैयार है। सरकार ने भी जो यह बिल पेश किया है और यह जो इंटरेस्ट दे रही है, बड़ी सुन्दर चीज़ कर रही है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि पोस्ट आफिसेज सेविंग्ज़ बैंक में जमा रक़म पर ढाई परसेंट सूद सरकार देती है, उस सूद की दर को बढ़ा कर यदि ३, ४ या ५ परसेंट कर दिया जाय तो लोगों को अपना पैसा और अधिक जमा कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह काफी रुपया सरकार को मिलेगा। मिडिल क्लास के आदमी रुपया दे रहे हैं लेकिन हाई क्लास के आदमी रुपया नहीं दे रहे हैं। पिछले हफ्ते जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में गया था तो मैं ने देखा कि बड़े लोगों की प्रवृत्ति देने की नहीं है, उनके पास धन है लेकिन वह दे नहीं रहे हैं। उनको न मालूम कौन सी माया लगी हुई है और पता नहीं कि वह किस चक्कर में हैं कि कल कहीं कायापलट हो तो शायद वही काटे जायेंगे और सब से पहले उन का ही छिनेगा। ग़रीब तो

[श्री शिव नारायण]

ग़रीब है ही, रोज़ खेत या फैक्टरी में काम करता है और कमाता है, मिडिल क्लास वाला तनख्वाह पाता है और थोड़े बहुत शादी, ब्याह के समय के जो उस के पास गहने हैं, उन से गवर्नमेंट का काम चलने वाला नहीं है। अलबत्ता जिन के पास गड़ा हुआ धन है जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम के पास काफी धन व सम्पत्ति है, आज देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गयी है, डिफेंस आफ इंडिया रूल्स देश में लागू हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि जिन के पास धन है उन से गवर्नमेंट बाई फोर्स ले। इस बारे में किसी के साथ कोई रिआयत न बर्ती जाय। मुल्क सब से बड़ा है और उस के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। आज जब देश को पैसे की आवश्यकता है तो पूंजीपतियों, जिनके कि पास काफ़ी धन पड़ा है, उनके साथ कोई रिआयत नहीं होनी चाहिए और उन से वह पैसा जैसे भी हो सरकार ले ले।

हमारे देश में बड़े बड़े अख़बार चलते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान टाइम्स में जो एक कार्टून छपा उस को देख कर मेरे तो रोंगटे फन्ना उठे। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को इसे बन्द करना चाहिए या चेक करना चाहिए। इस तरह का फ़ाल्स प्रोपैगंडा करके मुल्क के साथ विश्वास घात करते हैं। ऐसे लोग जिनके कि पास पैसा है वह सब पैसा सरकार अगर ज़रूरत हो तो बाई फोर्स ले। रिआयत की अब कोई ज़रुरत नहीं है। अब कान्फ्रेंस करें, मीटिंग करें, यह सब बिलकुल नौनसेंस है। मैं तो कहता हूं कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है इसलिए इन लोगों से ज़बरदस्ती पैसा लिया जाय। आज इसकी ज़रूरत नहीं है कि बनर्जी बैठे, कामथ साहब बैठें या शिव नारायण बैठें, डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स देश में लागू हैं इसलिए जिनके भी पास पैसा है वह उन से ले लिया जाय और इस में कोई रिआयत न दिखलाई जाय। मुल्क ख़तरे में है। यह तो गवर्नमेंट की शराफ़त है और भलमनसाहत है कि वे हमें और आप को साढ़े ६ परसेंट सूद दे रही है।

नेशनल डिफेंस सर्टिफिकेट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट यह बैन हटा दे ताकि जितने भी पार्लियामेंट या प्रार्विशियल लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स हैं वे इस में बतौर एजेंट के काम कर सकें और जनता में इन की बिक्री करवा सकें। मैं तो जितने भी पार्लियामेंट या प्रार्विशिएल लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स हैं उन से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे आगे आयें और यदि यह बैन हटा दिया जाय तो वे बतौर एजेंट के अपनी-अपनी कांस्टीटुएंसीज़ में वर्क करें और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह से लाखों और करोड़ों रुपये इस मद में वह सरकार को जनता से दिलवा सकेंगे। गवर्नमेंट को एक सोर्स हो जायगा और इस के लिए गवर्नमेंट को दूसरी मशीनरी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर माननीय सदस्य इस तरह से एजेंटी का काम करें तो यह देश की बड़ी सेवा होगी। जिस तरह से बीमा कम्पनियों के एजेंट्स काम करते हैं उसी तरह से मैं चाहूंगा कि मेम्बरों के लिए भी यह काम आफिस आफ़ प्राफिट में माइनेस कर दिया जाय। ऐसा होने से हमारे मेम्बरान भी बड़ा काम कर सकते हैं। देश की सेवा करना एक बड़ा पवित्र कार्य है और मैं तो चाहूंगा कि इस में और मेम्बर भी सहयोग दें और इस बैन को हटवा दें। ऐसा होने से आप को हर एक स्टेट में कम से कम २००–२५० एम० एल० एज़ मिलेंगे और ६०–७० एम० पीज़ मिल जायेंगे और हर एक कांस्टीटुएंसी में एक एम० पी० और ५ एम० एल० एज० यह छै जने मिल कर बड़ा काम कर सकते हैं और करोड़ों रुपया सालाना इकट्ठा कर सकते हैं।

"लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस हरि हाथ"। यह परीक्षा काल है और भारत की सेवा करने का अवसर आया है। चाहे कोई खेत में काम करे, चाहे फैक्टरी में काम करे और चाहे एजेंटी का काम करे, सब को धन, बल अपना देना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और देश के महान् नेताओं ने कहा है, सारे हाउस ने कहा है और तमाम अपोज़ीशन वालों ने भी कहा है

कि हम नेहरू जी के पीछे खड़े हैं, आज इस राष्ट्रीय संकट की घड़ी में पूरा देश एक होकर उनके पीछे खड़ा है, नेहरू जी आज देश के प्राइम मिनिस्टर इसीलिए हैं और देश की बागडोर उनके हाथों में इसीलिए है क्योंकि देश चाहता है कि वे ही उसके नेता हों। हम सब ने मिल कर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की रक्षा के लिए मुल्क के कोने कोने से एक एक बच्चे को मिल कर अपना धन और बल सब कुछ गवर्नमेंट को दे देना चाहिए।

गवर्नमेंट ने जो यह नियम बनाया है और इनकम टैक्स कानून में जो यह संशोधन अपनाया गया है कि इनकम टैक्स में हम उन को छूट देंगे यह एक अच्छी चीज़ की है। जो सूद मिलेगा, जो रुपया आप जमा करेंगे उस में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब इनकम टैक्स के नाते तो ही बड़े लोगों के वहां सारी बेईमानी होती है। मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े अफ़सरान उस पार बैठे हुए हैं जोकि इनकम टैक्स के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, करोड़ों रुपया जो कानपुर, बम्बई और कलकत्ता में बड़े बड़े लोगों के ऊपर बकाया है उसको क्यों वसूल नहीं करते हैं? आये दिन टैक्स लगाते रहते हैं, लैंड पर टैक्स लगाओ और इस तरह ग़रीब किसानों पर सरकार टैक्स लगाती है। और उन पर कर का भार बढ़ रहा है लेकिन यह पूंजीपति जिनके कि ऊपर काफी इनकम टैक्स का पैसा बक़ाया पड़ा है उन से वह पैसा क्यों नहीं वसूलती? आज रिआयत दिखलाने का समय नहीं है। ग़रीब लोग जो कुछ उन से बन पड़ता है आगे आ कर सरकार को पैसा दे रहे हैं लेकिन यह अमीर लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है यह आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

अभी परसों की बात है कि आनन्द पर्वत पर जहां कि ग़रीब हरिजन भाई बसते हैं, मैं गया था। उन्होंने बतलाया कि हम १००० रुपये का इंतज़ाम करेंगे। एक, एक मज़दूर से पैसा पैसा बटोर कर धन इकट्ठा किया जायेगा। जब ग़रीब लोग इस तरह से आगे बढ़ कर रुपया दे रहे हैं तब कोई नहीं मालूम पड़ती है कि बड़े बड़े लोग जिनके कि पास काफ़ी धन पड़ा है वे क्यों न सरकार की धन से सहायता करें और यह बांड्स वगैरह ख़रीदें। वे अपना सोना जमा कर गोल्ड बौंड्स ख़रीदें। उन से यह कोई नहीं पूछेगा कि वह उन्होंने कहां से पैदा किया और न ही उन्हें गवर्नमेंट या और कोई चोर या बेईमान कहेगा। उस हालत में कोई भी उन्हें ब्लैक-मार्केटर नहीं कहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब अपना अपना सोना दें और देश की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें। जहां वे इस तरह देश का कल्याण करेंगे वहां साथ ही उन का भी प्राफ़िट रहेगा। उन के पैसा लगाने में मुल्क डेवलप होगा। जो इनवैस्टमेंट आप करेंगे उससे यह देश आगे बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति इसकी सुदृढ़ होगी और उस के साथ ही आप की इनकम भी होगी। इस तरह से हमारा देश मज़बूत और तैयार होगा और हम अपने शत्रुओं का मुक़ाबला दिन रात चौगुना कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूं।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के सामने यह जो टैक्सेशन लाज़ (अमेंडमेंट) बिल आया है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही साथ माननीय श्री मरारजी देसाई का जो रेडियो भाषण सुना कि यह गोल्ड बौंड्स कोई भी ले सकता है और उसके लिए पैसा या रुपया उस ने कहां से पैदा किया इस के बारे में कोई इनक्वायरी नहीं की जायगी, तो मैं ने महसूस किया कि यह लोगों से धन लेने का बड़ा इंजीनियस वे था। इस के पहले बजट सैशन में और उस के बाद थोड़ी थोड़ी जब एक सुर निकलती थी कि गोल्ड लेने की ज़रूरत है तब बम्बई के बैंकों और इंदौर के बहुत से बैंकों में जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ था, औरनामेंट्स रखे हुए थे, उन्होंने उनको निकालने के वास्ते कोशिश की थी। आज जब देश को इतनी भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है और चाइना ने हमारे देश पर एग्रेशन किया है, तब सरकार को गोल्ड की

[श्री बड़े]

जरूरत है । चूंकि सरकार जनता से ज़बर्दस्ती गोल्ड नहीं ले सकती है, इसलिए उस ने लोगों से गोल्ड लेने का एक इन्जीनियस तरीका निकाला है, जिस के अनुसार जो गोल्ड बांड्ज़ ख़रीदेगा, पंद्रह साल के बाद उस को गोल्ड के स्थान पर रुपया दिया जायगा । मैं समझता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया जाता कि पंद्रह साल के बाद या तो उतना ही गोल्ड दिया जायगा और या उस वक्त गोल्ड की जो कीमत होगी, वह दी जायेगी, तो ज्यादा गोल्ड सरकार के पास आता ।

जब मध्य प्रदेश में गोल्ड देने की अपील की गई, तो जितने ग़रीब लोग थे, उन सब ने गोल्ड दिया और वे गोल्ड देने के लिए तैयार हैं । लेकिन उनके सामने यह सवाल आता है कि जिस प्रकार से पंच-वर्षीय योजनाओं में और कम्यूनिटी प्राजेक्ट्स में पैसे की फ़िज़ूल-खर्ची होती है, क्या शासन गोल्ड ले कर उसी प्रकार से पैसा ख़र्च करने वाला है । शासन वह पैसा किस प्रकार ख़र्च करने वाला है, इस बारे में कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ।

इसके साथ ही वे लोग पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में चालीस मिनिस्टर हैं, इन मिनिस्टरों और उनकी पत्नियों की ओर से कितना गोल्ड दिया गया है । वे यह भी पूछते हैं कि सैंटर के मिनिस्टरों के यहां से कितना गोल्ड आया है । जब ये सवाल हम से पूछे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हम को मालूम नहीं है । प्रापेगेंडा में यह नहीं बताया गया है कि इतने मिनिस्टरों ने कितने बांड्ज़ खरीदे या कितना गोल्ड दिया ।

श्री काशी राम गुप्त : लोक-सभा के मेम्बरों से कितना आया ?

श्री बड़े : इस बारे में भी प्रचार नहीं होता है कि लोक-सभा के मेम्बरों ने कितना गोल्ड दिया । इस योजना के बारे में प्रचार कम होने से जनता का रेस्पांस अच्छा नहीं हो रहा है ।

इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में गोल्ड को होम बैंक, घरू बैंक या घरू पेढ़ी कहते हैं । जब किसी स्त्री का ख़ाविन्द कमा नहीं सकता है, या उसको विधवावस्था का सामना करना पड़ता है, तो वह गोल्ड बेच कर अपना निर्वाह करती है । आर्य महिलायें इस प्रकार की कठिन परिस्थिति के लिए स्त्रीधन के रूप में दिये गये गोल्ड को अपने पास रखती हैं । इस कारण जनता में यह भावना है कि अगर हम गोल्ड दे देंगे, तो कठिन परिस्थिति में हमारा क्या होगा, क्योंकि पंद्रह साल तक गोल्ड का रुपया नहीं मिलने वाला है ।

शासन ने इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है कि यदि किसी विधवा या नाबालिग़ को, या किसी कुटुम्ब को, ऐसी अवस्था का सामना करना पड़े, तो बीच में ही उन को सहायता दी जायगी और गोल्ड बांड्ज़ का पैसा उनको दिया जायगा । पंद्रह साल तक क्या करेंगे, ग़रीब कुटुम्बों के सामने यह सवाल होने के कारण गोल्ड बांड्ज़ के बारे में लोगों का रेस्पांस अच्छा नहीं है । वे आदमी, पैसा और अपना ब्लड तक देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिन्दू स्त्रियों के लिए गोल्ड का महत्व ब्लड से भी अधिक है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में वे गोल्ड पर निर्भर करती हैं ।

हमारे देश को एक कल्याणकारी राज्य और सोशलिस्टिक पैटर्न की स्टेट कहा जाता है और उसके अन्तर्गत शासन पर **फ़ाम दि क्रैडल टु दि ग्रेव** की रेस्पांसिबिलिटी है । इस लिए सरकार को कठिन परिस्थिति में हमारी जवाबदारी लेनी चाहिए । क्या वह ऐसा करने के लिए तैयार है ? यदि इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तो डिफ़ेंस के लिए गोल्ड बांड्ज़ ख़रीदने के लिए घरों की स्त्रियां और साधारण जनता ज़रा हिचकिचाती हैं । स्त्रियां यह सोचती हैं कि गोल्ड तो हमारा आख़िरी निर्वाह है—जब घर का सब पैसा निकल जाता है, हमारे ख़ाविन्द को कोई

नौकरी नहीं मिलती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं मिलता है, तो स्त्रीधन शादी के वक्त जो गोल्ड हम को दिया जाता है, उस को बेच कर हम निर्वाह करती हैं। वे पूछती हैं कि कठिन परिस्थिति में हमारी सहायता करने के लिए शासन ने जवाबदारी ली है या नहीं—अगर नहीं ली है, तो फिर हम गोल्ड कैसे दें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि एक तो इस बारे में ठीक प्रापेगेंडा किया जाये और दूसरे, इस बारे में एनैलेसिस, विश्लेषण, किया जाये कि आख़िर डिफ़िकल्टी और कठिनाई क्या है और लोग गोल्ड बांड्ज़ क्यों नहीं ख़रीदते हैं और फिर शासन कोई उपयुक्त स्कीम जनता के सामने रखे।

हिन्दुस्तान के बारे में कहा जाता है कि **इट इज़ ए ब्राटमलैस पिट आफ गोल्ड**। जितना भी गोल्ड आता है, वह सब हिन्दुस्तान की चालीस करोड़ जनता के पास चला जाता है। हमारे यहां आभषणों के लिए बहुत कम स्त्रियां गोल्ड लेती हैं, लेकिन चूंकि कठिन परिस्थिति में उसके ऊपर उन का निर्वाह होता है, इसलिए बहुत मुद्दतों से आर्य समाज में गोल्ड देने की प्रथा चली आ रही है और स्त्रियां शादी के वक्त स्त्रीधन के नाते से गोल्ड लेती हैं।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : आर्य समाज में या हिन्दुस्तान में ?

श्री बड़े : आर्य संस्कृति में। आर्य समाज से मेरा तात्पर्य है हिन्दुस्तान के लोग। चूंकि "आर्य समाज" कहने से माननीय सदस्य, अणे साहब, नाराज़ हो गये हैं, इसलिये मैं ने स्पष्ट कह दिया है कि आर्य संस्कृति में।

डा० मा० श्री अणे : मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूं।

श्री बड़े : इस वक्त क्या होता है ? हम ने गोल्ड बांड्ज़ ख़रीदने के लिए अपील की और मीटिंग्ज़ में कहा कि श्री मोरारजी देसाई ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि चाहे किसी ने पैसा चोरी से कमाया है, या करप्शन से, ब्लैक मार्केटिंग से कमाया है या मध्य प्रदेश से बम्बई को चावल एक्सपोर्ट कर के, उसका कोई हिसाब नहीं पूछा जायगा, आप गोल्ड बांड्ज़ ख़रीदिए। लेकिन जनता का विश्वास उस पर नहीं है। वह नहीं जानती है कि गोल्ड बांड्ज़ ख़रीदने के बाद सरकार के पास जो सोना इकट्ठा हो जायगा, वह उस को युद्ध के लिए ख़र्च करेगी या जिस तरह से उस ने बाहर से कर्ज़ा ले कर पंच-वर्षीय योजनाओं में अंधा-धंध पैसा ख़र्च किया है,—हालांकि हमारे गांवों को उस से कोई लाभ नहीं पहुंचा है—, उसी तरह से वह सोने को भी फ़िज़ूल ख़र्च कर देगी। इसलिए जनता को इस बात का विश्वास दिलाना चाहिये कि गोल्ड बांड्ज़ से जो गोल्ड सरकार के पास आयगा, उस को देश की रक्षा और लोगों की प्राण-रक्षा के लिए ख़र्च किया जायगा, उसका उपयोग चीनियों को इस देश से हटाने के लिए किया जायगा, पंद्रह साल के बाद उनको गोल्ड की पूरी कीमत दी जायगी और बीच में कोई कठिन परिस्थिति आने पर लोगों को संरक्षण दिया जायगा। यदि ऐसा किया जायगा, तो लोग बराबर गोल्ड देंगे। आज न तो शासन की ओर से और न फ़िनांस मिनिस्ट्री की ओर से इस बारे में ठीक प्रोपेगेंडा किया जाता है।

माननीय सदस्य, श्री पी० के० देव, ने नान-एलाइनमेंट पालिसी को छोड़ देने की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि वैस्ट्रन कंट्रीज़ ने हम को अपने साथ एलाइन कर लिया है, इसलिये हम उन के साथ एलाइन करें या नहीं, इसका कोई सवाल नहीं है। जहां तक प्रिंसिपल्ज़ का सम्बन्ध है, किसी ने कहा है कि **ए मैन आफ प्रिंसिपल्ज इज दी रुइन आफ दि स्टेट**। जैसाकि मनुस्मृति में कहा गया है, प्रिंसिपल्ज़ को परिस्थिति के अनुसार मोल्ड करना चाहिये। इसलिये माननीय सदस्य, श्री पी० के० देव, ने नान-एलाइनमेंट पालिसी के बारे में जो कुछ कहा है, उस में कोई तथ्य नहीं है।

[श्री बड़े]

एक माननीय मित्र ने कहा है कि गोल्ड बांड्ज़ ख़रीदने के लिये लोगों के पास सोना नहीं है। यह बात ग़लत है। हर एक के पास गोल्ड है।

श्री काशीराम गुप्त : मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि यह देखना चाहिये कि अगर लोगों के पास सोना है, तो वे देते क्यों नहीं हैं।

श्री बड़े : गोल्ड काफ़ी है लोगों के पास। छोटा सा आदमी भी गोल्ड रखता है।

श्री काशी राम गुप्त : ब्लैक-मार्केटियर्ज़ के गोल्ड का सवाल है।

श्री बड़े : यह बात बिल्कुल निश्चित है कि छोटे छोटे आदमी भी गोल्ड दे रहे हैं और उन्होंने देश-सेवा का व्रत ले लिया है। आज हमारे मिनिस्टर महोदय और बड़े बड़े सेठ गोल्ड ले कर नहीं आते हैं, इस लिये साधारण जनता भी नहीं आती है।

इन शब्दों के साथ मैं टैक्सेशन लाज़ (एमेंडमेंट) बिल को सपोर्ट करता हूं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (विकाराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करती हूं। "सर्वेजनाः कांचनम् आश्रयन्ति"। सब को पैसे की ज़रूरत है—सरकार और जनता दोनों को पैसे की ज़रूरत होती है। संकट के समय तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसाकि हमारी बहन ने कहा है, संकट में बहनों के लिए बहुत संकट होता है। जब गांधी जी ने सब को सिखाया, तो सब ने तमाम शृंगार और वभव के साधन त्याग दिये और तन-मन-प्राण से काम कर के अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की। मैं आप को उदाहरण के तौर पर बतलाना चाहती हूं कि हमारी बहनों ने आज़ादी की लड़ाई में कितना योगदान किया है। सरोजिनी देवी ने अपने तमाम अलंकार निकाल कर दे दिये थे। इसी तरह से और भी कई बहनों ने अपने अलंकार निकाल दिये थे। हमारी बहनों ने मोटे मोटे कपड़े पहन कर इस आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था। आज भी औरतें अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को देने के लिये तैयार हैं। देश का जो स्त्री-धन है, वह सहयोग करने में किसी से पीछे नहीं है।

कुछ भाइयों ने कहा है कि बहनें नहीं देती हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है। बहनों को जब घरों में पैसे ला कर दे दिये जाते हैं और उन को खर्च चलाने के लिये कह दिया जाता है तो जब वे देने के लिये तैयार होती हैं तो कई भाई एसे होते हैं जो यह कहते हैं कि मत दो। व उनको देने नहीं देते हैं। मैं लेडी मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहती हूं कि स्त्रियों से उनको बहुत मिल रहा है और मिलता चला जायेगा। बहनें कभी किसी से पीछे रहने वाली नहीं हैं। इस में कोई शुबहे की बात नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। बहनें त्याग करने के लिये तैयार हैं। आज तक बहनों ने त्याग किया है और आगे भी करती रहेंगी। बहनें अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग कर सकती हैं, इसका एक उदाहरण मैं आप के सामने रखना चाहती हूं। अगर मैं पूरी कहानी कहूं तो वह बहुत लम्बी हो जायगी। संक्षप में ही मैं इस को आप के सामने रखती हूं। पांडव जब जंगल में रह रहे थे तो कुन्ती भी उन के साथ थी वह अपने बच्चों को संकट काल में अपने को अलग बचा कर रखना चाहती थी। रात को वह एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर घटोत्कच नाम का एक राक्षस रहता है। उसके पास रोज बारी बारी से हर घर से एक व्यक्ति को खाने के लिये ले जाया जाता था। जिस रोज़ वह ब्राह्मण के घर में सोई हुई थी, उस घर वालों में राक्षस के पास जाने की प्रति-स्पर्धा हो गयी। कोई कहने लग गया है कि मैं जाऊंगा, कोई कहने लग गया कि मैं जाऊंगी। जब कुन्ती ने यह सब सुना तो उस ने कहा कि तुम में से कोई मत जाओ, मेरा लडका भीम जायगा।

मना करने पर भी वह नहीं मानी और अपने हृदय के टुकड़े को भेजने के लिये तैयार हो गई। इस प्रकार की परम्परा स्त्रियों की रही है। अब भी उन पर आप को किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिये। आप इत्मीनान रखें, वे त्याग करने में किसी से पीछे नहीं रहेंगी।

मैं लेडी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कहना चाहती हूं कि सेक्शन ८८ जो इनकम टैक्स एक्ट का है, उस में जो वह सुधार लाई हैं, वह तो बहुत अच्छा है। यह बहुत सराहनीय है कि उन्होंने लोगों को इसके जरिये से सहूलियत पहुंचाई है। लोगों को डिफेंस फंड में और बांड्ज़ में रुपया लगाने में इस से बहुत सहूलियत मिलेगी और उन का उत्साह भी बढ़ेगा। इस रकम पर आपने इनकम टेक्स न लेने की जो बात कही है, वह अच्छी है। लेकिन जो बात मैं कहने जा रही हूं उस को माननीय लेडी मिनिस्टर को तथा अफसरों को भी ध्यान से सुनना चाहिये। मैं इनकम टैक्स के बारे में बतलाना चाहती हूं कि इंडिविजुअल इनकम-टैक्स पर १९६०-६१ में आप को ८० करोड़ के करीब रुपया मिला। लेकिन १९६१-६२ में यह राशि घट कर ४८ करोड़ हो गई। यह कम किस तरह से हो गई, मुझे नहीं मालूम। मैं चाहती हूं कि इस तरफ विशेष तौर से ध्यान दिया जाये। किस तरह से घट कर वह आधे के करीब रह गया, इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। इस को देख कर ताज्जुब हुए बगैर नहीं रहा जाता है।

कहा जाता है कि हमारे देश की सम्पत्ति बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन यह राशि किस तरह से घट गई, इसको आप को सोचना चाहिए। आप करेंसी नोट्स भी हर साल ज्यादा छापते चले जा रहे हैं। एक मिंट हैदराबाद में भी है। वहां पर भी ये छपते हैं। १९६० में १०४९ करोड़ के छपे थे। लेकिन १९६१ में १४५१ करोड़ के छपे। इस का मतलब यह हुआ कि ४०२ करोड़ के ज्यादा छपे। ये सब रुपया कहां चला गया। क्या यह सब रुपया इंडस्ट्रीज़ में चला गया, क्या कंस्ट्रक्शंज़ में नहीं चला गया ? तो फिर क्या इस से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है क्या वजह है कि जो परसनल इनकम टैक्स की राशि थी वह नहीं बढ़ी है। जब नैशनल इनकम बढ़ रही है, पर-कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो क्या वजह है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स घट कर आधा हो गया। आप ने कई तरह के टैक्स लगाये हैं, वैल्थ टैक्स लगाया है, और इस में आप को ९ करोड़ ही १९६२-६३ में मिलने की आशा है....

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं माननीय सदस्या से प्रार्थना करूंगी कि जो आंकड़े वह दे रही हैं, उन को इकट्ठा कर के नहीं दे रही हैं, अलग-अलग लिस्ट में से ले कर दे रही है और इस से सही तस्वीर सामने नहीं आ सकती है। उन को चाहिये कि वह सारे जो आंकड़े हैं, उनको इकट्ठा कर के और देख कर तथा समझ कर दें, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है। कल भी वह इसी तरह से कर रही थीं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई : जो आप की रिपोर्ट है, वह मेरे पास है। उसी में से मैं आप को बता रही हूं। आप ने कई तरह के परसनल टैक्स लगाये हैं, एक्सपेंडीचर टैक्स, वैल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी इत्यादि। क्या वजह है कि इन से आप को आमदनी कम होती जा रही है। क्या वजह है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स की जो राशि है वह कम हो गई है। आप ने सेल्ज़ टैक्स भी लगाया है। यह जो सेल्ज़ टैक्स है, इस को स्टेट्स वसूल करती हैं, उन्हीं के जिम्मे यह काम है। यही एक सोर्स है जिस से पता चल सकता है कि किसी की आमदनी ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है। जब सेल्ज़ टैक्स की राशि कम वसूल होती है, तो जो इनकम टैक्स है, उस की राशि भी कम वसूल होती है। इस वास्ते यह जो मूलभूत चीज़ है, यह जो सेल्ज़ टैक्स है, इस को आप को ठीक तरह से वसूल करना चाहिये, इसको सही ढंग से वसूल करना चाहिये, देखना चाहिये कि कोई इस टैक्स से न बचने पाये। अगर आप ने इसकी व्यवस्था कर दी तो इनकम टैक्स की राशि भी बढ़ सकती है और आप की

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

आमदनी ज्यादा हो सकती है। जब यह टैक्स ठीक तरह से वसूल नहीं होता है तो लोग इनकम टैक्स अदा करने से भी बच निकलते हैं।

फाइनेंस मिनिस्टर का लक्ष्मी का रूप है। मैं कहना चाहती हूं कि वह रुपया वसूल करने में सख्ती से काम लें। आपके पास ताकत है, आप टैक्स की रांशियां आसानी से वसूल कर सकते हैं। आपके हांथ में तलवार है जो कि तेज़ भी है और सुन्दर भी। लेकिन इसको इस्तेमाल में लाने की आपमें ताकत होनी चाहिये। आपको चाहिये कि जितने सरकारी टैक्सस हैं, उनको सख्ती के साथ वसूल किया जाये। आपको अपन अफसरों पर भी सख्ती से काम लेने के लिये दबाव डालना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका समय हो गया है। अब आप बन्द करें।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : इस बिल में नेशनल डिफेंस बांड्स और गोल्ड बांड्स को इस तरह से एडजस्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि व वैल्थ टैक्स और इनकम टैक्स की ज़द में न आ सकें।मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

जहां तक गोल्ड बांड्स का सम्बन्ध है तथा नेशनल डिफेंस बांड्स का सम्बंध है, यह देश के सामन एक महत्वपूर्ण चीज है और उनको रगुलैराइज़ करने के लिय जो कुछ भी किया जा सके, वह कम है। जाहिर है कि इस वक्त देश के सामने संकट है और यह संशोधन हमें इसलिये चाहिये कि हम विदेशों से हथियार खरीद सकें और न केवल हाथियार बल्कि दूसरी सामग्री भी खरीद सकें जिस की हमें नितांत आवश्कता है। गोल्ड बांड्स को बढ़ावा देने के लिये यह आवश्यक है कि सोने के दाम गिराये जायें। यह बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिये यह आवश्यक है कि स्मगलिंग बन्द हो तथा सोने को जमा करने की तथा सोने को खरीद कर रखने की जो प्रवृत्ति है, उस पर रोग लगे। मुझे यह भी मालूम देता है कि किसी तरह से सोने के भाव को गिराया जाये और उसको उस लेवल पर लाएं जिसको कि इंटरनेशनल लेवल कहा जाता है। सरकार ने जिस वक्त गोल्ड बांड्ज़ को शुरू किया था, उस वक्त भाव निर्धारित किये थे। उसने कहा था कि ५३ रुपये ५८ नए पैसे प्रति दस ग्राम या ६२ रुपये ५० नए पैसे प्रति तोला का भाव होगा। उसने यह फैसला भी किया था कि ११ फरवरी १९६३ तक ये बांड बेचे जा सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इसको बढ़ावा देने के लिये सरकार को विस्तृत रूप में कार्यक्रम बनाना चाहिये और एसी योजना बनानी चाहिये कि लोगों में इसका प्रचार हो सके। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि लोगों से कहा जाये कि सोना जमा न करना, सोना न खरीदना, यह भी एक देशभक्ति का काम है। अगर लोग ऐसा करते हैं तो हमारा जो काम है, उस में हमें बड़ी मदद मिल सकती है।

इसी बीच में सोने के भाव गिरान की भी कोशिश जारी रहनी चाहिए। जब आदमी देखेगा कि सोना रखना बुद्धिमानी नहीं है और न ही उसको बेचना बुद्धिमानी है तो गोल्ड बांडज़ खरीदने के लिए वह मजबूर हो जाएगा और इस स्कीम को बढ़ावा मिलेगा। यह बात सही है कि बहुत से लोगों ने जो गोल्ड खरीदा था, वह मंहगा खरीदा था और अब गोल्ड बांड्ज़ वे खरीदेंगे वे सस्ते भाव पर खरीदेंगे। लेकिन जनता को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि यह तो सही है कि उसको इस तरह से सोने के बांड खरीदने में थोड़ा सा घाटा है लेकिन उसका रुपया सुरक्षित है और सोना तो सुरक्षित रहेगा ही, और पन्द्रह बरस बाद उसको सोना तो मिल ही सकेगा।

इसके साथ-साथ जो सूद की बात रखी गई है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि दस हजार रुपये तक के जो बांड होंगे, उस पर जो सूद होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन दस हजार के ऊपर के जो बांड्स होंगे, उन पर जो सूद होगा, उस पर टैक्स लगगा। मैं चाहता हूं कि यह जो टैक्स वाली बात है यह गलत है और दस हजार के ऊपर भी सूद पर जो टैक्स लगने की बात

है, वह भी नहीं होनी चाहिये, उस पर भी टैक्स नहीं लगना चाहिये । अगर इस तरह की बात होती है तो गोल्ड बांड्स खरीदते के लिय लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका उत्साह बढ़ेगा ।

प्राइज बांड आपकी तरफसे बेचे जाते है तथा दूसरे बांड्स कई तरह के जारी किये गये है । उनमें एक प्रलोभन की बात रखी गई है । आपने कह रखा है कि इनाम मिलेगा और कुछ इस तरह की चीज होगी । लेकिन वह प्रलोभन इसमें नहीं है । इस लिये मैं चाहता हूं कि किसी तरह का प्रलोभन या लालच इस में हो कि पन्द्रह बर्षों के बाद हमें इस सोने के अतिरिक्त कुछ और मिलने वाला है । अगर इस तरह की चीज हो तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ मदद मिल जायगी ।

सोने के सामाजिक इस्तेमाल की रस्में हैं, मसलन जेवर के रूप में या किसी और तरीके से, उस के विरुद्ध भी सरकार को कुछ प्रचार करना चाहिये । यह चीजें प्रचार से रोकने की हैं, कानून से नहीं । इस तरह का प्रचार करना चाहिये कि जेवर का पहनना अच्छी बात नहीं है, यह देशद्रोह की बात है । इस तरह की चीज हो तो इस से भी बहुत मदद इस काम में मिल सकती है ।

स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा सवाल है । इस साल ११६ लाख रु० का और पिछले साल २,२०० लाख रु० का सोना, स्मगलिंग का पकड़ा गया । इसी के साथ साथ ३५ से ४० करोड़ रु० का घाटा हर साल फारेन एक्सचेंज का भी होता है स्मगलिंग से । इस लिये अगर सोने के भाव गिर जायें या इंटर नेशनल लेवल पर सोने का भाव लाया जाय तो स्मगलर्स को भी कोई टेम्पटेशन सोने को दूसरी जगह से यहां लाने का नहीं रहेगा, उन के हौसले भी पस्त हो जायेंगे । इस लिये यह बहुत आवश्यक है कि किसी तरह से भी सोने के भाव नीचे गिरा दिये जायें ।

इस सिलसिले मैं कुछ सुझाव देना चाहता था । पहला सुझाव यह है कि सोने के वायदा कारोबार पर रोक लगे । दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता था व यह कि विदेशों से डिलिवरी सौदे रोक दिये जायें । तीसरी चीज यह है कि जिस तरह से सट्टे पर सोने का सौदा होता है उस से उस का भाव घटता और बढ़ता रहता है । इस लिये मैं चाहता हूं कि सोने को नकद खरीदने का चलन हमारे देश में हो । जितने भी सट्टबाजी के काम हैं वायदों के काम हैं, वे बन्द हों और सट्टेबाजों के चंगुल से किसी तरह लोगों को बचाया जाय । अगर इस तरह से काम किया जाय तो मैं समझता हूं कि सोने की कीमतों को गिराने में काफी मदद मिलेगी ।

इसी के साथ-साथ मैं चाहेता हूं कि सोने के कारोबार के लिये लाइसेंस दिये जायें । रिजर्व बैंक के पास सर्वाधिकार इ सका हो कि वह जिस तरह से चाहे सोने का कारोबार देश में चला सके ।

इसी के साथ साथ सोने आदि के भंडार रखने की भी एक लिमिट होनी चाहिये । यह न हो कि किसी के पास करोड़ों रुपयों का सोना भरा हो और किसी के पास दस या पांच हजार रुपयों का ही हो । इस की लिमिट होनी चाहिये । अब हमारे पुराने राजा महाराजाओं का जमाना जा रहा है इस लिये इस की एक हद्द होनी चाहिये, और अगर उस हद्द से ऊपर कोई सोना रखे तो उस के ऊपर इसके लिये जुर्माना होना चाहिये । सोने को जमा करने का जो मसला है वह दुनिया भर का मसला है । अभी पिछले दस वर्षों में ७·३ अरब डालर का सोना रूस और उस के मित्र देशों को छोड़ कर सारी दुनिया में जमा था और पिछले साल १ करोड़ १० लाख आउंस सोना निजी तिजोरियों में चला गया । इस तरह से सोना जमा करने की जो प्रवृत्ति है वह बहुत अर्स से चली आ रही है और उस पर अब रोक लगनी चाहिये, ऐसा वक्त आ गया है । सरकार के पास भी काफी रुपया है । स्मगलिंग से भी काफी रुपया आता है, इसी के साथ साथ करीब ढाई या तीन करोड़ रु० का सोना खानों से निकलता है, जो कि सरकार के पास है, उस के लिये भी सरकार की व्यवस्था हो । उस को भी रेगुलराइज कर के अगर वह ठीक प्रकार से सोना जमा करेगी और सारी व्यवस्था को ठीक करेगी तो यह सारी चीजें ठीक हो सकती हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी श्री बड़े की तकरीर सुन रहा था, कुछ और तकरीरें भी मैंने सुनीं। जितने भी मेजर्स या जितने भी कायदे हम बना रहे हैं वे खास तौर पर डिफेंस और सुरक्षा के लिए ही बना रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की कुछ तकरीरें यहां की गई हैं, खास तौर से श्री बड़े की तकरीर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वे तकरीरें जो विश्वास और भरोसा हम पैदा करना चाहते हैं उसको हिलाने वाली थीं। एक अखबार जनसंघ का है "आर्गेनाइजर" वह भी मैं पढ़ रहा था। उसमें सोने के सम्बन्ध में जो कानून बन रहे हैं और जो अपीलें गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, उनका बार-बार जिक्र था कि यह सोना आर्य देवियों के लिए बड़ा आवश्यक है, यह उन का आभूषण है, और इस सोने को गवर्नमेंट कैसे इस्तैमाल करेगी और उसकी क्या व्यवस्था करेगी, यह मालूम नहीं है। इस प्रकार की बातें यहां बड़े साहब भी कह रहे थे और इसी प्रकार की बातें लिखी भी जाती हैं। यद्यपि यहां पर जो विधेयक आते हैं उनका समर्थन किया जाता है, लेकिन तकरीरें यहां और बाहर इस ढंग से की जाती हैं कि उनका प्रभाव लोगों पर बड़ा बुरा होता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम पूरे दिल से सुरक्षा के सम्बन्ध में जो कायदे और व्यवस्थायें होती हैं उनका समर्थन करते हैं तो हमें इस प्रकार की तकरीरें नहीं करनी चाहियें जिनसे कि लोगों का विश्वास और भरोसा उठे और जिससे लोगों के दिल में यह सन्देह पैदा हो और सन्देह की भावना और ज्यादा मजबूत हो कि पता नहीं गवर्नमेंट सोने का क्या करेगी, जिस तरह से कि बड़े साहब कह रहे थे उसकी ठीक व्यवस्था होगी या नहीं, वहां जो सोना दिया जायेगा वह क्या होगा। इस तरह की बातें कह कर लोगों में सन्देह की भावना पैदा करना और इनडाइरेक्ट तरीके से ऐसी बातें कहना जो कि दरअस्ल उसके समर्थन में नहीं बल्कि विरुद्ध होती हैं, मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है और आजकल के वातावरण में न यहां पर और न बाहर इस तरह की बातें कही जानी चाहियें। मुझे विश्वास है कि जहां तक यह सोना लेने की व्यवस्था है, या स्मगलिंग को रोकने की व्यवस्था है, वह उचित है, मैं नहीं मानता कि दुनिया की कोई अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट भी अगर तमाम बोझा उसी पर डाल दिया जाये तो वह इसको उठा सकती है। आज गवर्नमेंट के पास जो साधन हैं, वह पुलिस है, अधिकार है, लेकिन उन अधिकारों की भी एक लिमिट है, उनका एक दायरा है। हम भी देश में एक भावना पैदा करें, एक वातावरण पैदा करें, और वह वातावरण और वह क्लाइमेट जितनी हम पैदा कर सकते हैं वह इसमें सहायक हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जिस तरह की तकरीरें यहां पर या बाहर कुछ दलों के लोग करते हैं वह इस भावना को कम करती हैं और इस क्लाइमेट को पैदा करने में रुकावट डालती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब इस तरह की बातें नहीं कही जायेंगी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि गवर्नमेंट का पूरा फाइनेन्शल ग्रिप हर चीज पर होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि हाउस की तमाम पार्टियों के लोग यह विश्वास करके चलेंगे कि जहां तक गवर्नमेंट की फाइनेन्शल ग्रिप का ताल्लुक है हम उसको कायम करना चाहते हैं और उसमें पूरा-पूरा समर्थन देंगे। यहां पर वे एक एक शब्द ऐसा कहेंगे जिससे यह विश्वास पैदा हो, भरोसा पैदा हो और गवर्नमेंट के जो काम हैं उनमें कोई सन्देह पैदा न हो कि गवर्नमेंट की ग्रिप मजबूत है। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट जो भी कानून पास कर रही है, जो ताकत ले रही है, जो अधिकार हमसे ले रही है, उसको जरा सख्ती से पालन करे। वह जितनी सख्ती से उसका पालन करेगी उसमें हाउस के तमाम सदस्यों का समर्थन उसे प्राप्त होगा।

मैं फिर आशा करता हूं कि जिस प्रकार की स्पीच श्री बड़े ने दी, उस प्रकार की स्पीचें जहां भी हों वह बन्द होनी चाहियें। मैं चाहता हूं कि किसी भी पब्लिक मीटिंग में जो इस प्रकार की बातें कही जाती हैं कि पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, वह तमाम बातों को ठीक कर सकेगी या नहीं, इस प्रकार के भाषण नहीं होने चाहियें। लोगों के भरोसे को कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये बल्कि लोगों के भरोसे को और दृढ़ करना चाहिय।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बेरवा कोटा (कोटा) : माननीय सदस्य ने जो कुछ श्री बड़े ने कहा उस को समझने में गलती की है। बड़े साहब ने कहा था कि इसके अन्दर इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए या यह स्पेसिफिकली लिख देना चाहिए कि हम जो गोल्ड लेंगे उसको सिर्फ डिफेन्स के काम में लाया जाएगा। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने यहां कहा उससे मालूम होता है कि उनमें कुछ भ्रांति हो गई है।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : मैंने वही कहा है जो कि उनकी तकरीर सुनने के बाद मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी हाउस के सामने प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें जो रिलीफ दिया जा रहा है इनकम टैक्स के सम्बन्ध में उसका लाभ ऐसे लोगों को होगा जो अभी भी समाज में बहुत अच्छी हाल त में हैं। लेकिन सोना देने वाले ऐसे भी लोग हैं जो आज अच्छी अवस्था में नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कीगयी है। मैं चाहता हूं कि उनके लिए इसमें यह व्यवस्था की जाए कि बाद में वे अगर अपने सोने के बदले में सोना चाहें तो उनको सोना दिया जाए और उसके साथ साथ जो सूद का रुपया हो वह भी उनको मिले। जो लोग इनकम टैक्स देने वाले नहीं हैं उनके लिए ऐसा खास प्रावीजन रखना चाहिए। जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए अगर कोई प्रावीजन न भी हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बल्कि उनके लिए न हो तो अच्छा है, लेकिन छोटे लोगों के लिए अवश्य प्रावीजन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके लिये बिल में आवश्यक संशोधन किया जाए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज की व्यवस्था में जिन लोगों के पास कानून के मुताबिक बेसी जमीन का हिस्सा है, या पूंजी का हिस्सा अधिक है, या जो बेसी प्राफिट कमाते हैं या जिनकी और तरह से बेसी आमदनी है, वे लोग अपने घर से सोना नहीं निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो देश के बड़े बड़े राजे महाराजे और नवाब हैं और जिनके घरों में सोना है, उसको भी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। डिफेंस आफ इण्डिया बिल के बहस के सिलसिले में भी मैंने इस बात पर जोर दिया था। सरकार को यह बताना चाहिये कि देश में जो राजे महाराजे और नवाब तथा पूंजीपति हैं और जिनके पास खानदानी तौर से काफी सोना मौजूद है, उसके आंकड़े क्या हैं, और सरकार यह भी बतलावे कि उन्होंने अब तक कितना सोना दिया है। और अगर वे काफी तादाद में सोना नहीं देते हैं तो उनसे सोना कैसे लिया जाएगा और इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है इस चीज को भी सरकार को आज सदन के सामने रखना चाहिए।

श्री अब्दुल गनी गोनी : (जम्मू तथा काश्मीर) : इस विधेयक का अध्ययन करने पर मुझे लगता है कि इसमें हमारे धनी लोगों के लिए आकर्षक व्यवस्था है क्योंकि अवधि १५ वर्ष है और ब्याज ६½ प्रतिशत है परन्तु मध्य और निम्न वर्ग के लोगों की अपेक्षा उनका प्रत्युत्तर उत्साहजनक नहीं है। उच्च

मूल अंग्रेजी में

[श्री अब्दुल गनी गोनी]

श्रेणी में केवल हैदराबाद के निजाम ही नहीं बल्कि सभी महाराजा, नवाब और टाटा और बिरला जैसे बड़े उद्योगपति भी शामिल हैं। वे १५ वर्ष के लिए सोने का विनियोजन कर सकते हैं। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परन्तु सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हमारी वित्तीय नीति वाणिज्यिक नीति न हो—कि हमें कितना देना है और कितना लेना है। मुझे लगता है कि यह नीति कुछ वाणिज्यिक है न कि देश से अधिक मात्रा में सोना लेने के लिए।

६२·५० रुपये प्रति तोला की दर उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके हित असुरक्षित हैं और खतरे में हैं। परन्तु देश की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें अधिकतम मात्रा में सोने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें उचित मूल्य का प्रस्ताव करना चाहिए जो निम्न और मध्यम वर्ग के उन लोगों के लिए आकर्षक हो जिन्होंने दो या तीन वर्ष पूर्व १३० या १४० रुपये तोला सोना लिया हो। ६२·५० रुपये तोला का भाव उन लोगों के लिए ठीक है जिन्होंने सदियों से सोने को जमा कर रखा है।

†**डा० मा० श्री० अणे :** श्रीमन्, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि ऐसा कोई उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। परन्तु प्रश्न है कि सरकार छुपे हुए सोने को निकालने में किस प्रकार सफल होगी।

क्या सरकार को इस बात का कुछ पता है कि लोगों के पास जेवर और पासे के रूप में कितना सोना है। सरकार को उस मात्रा का तो पता ही है जो उनके पास करेंसी की सुरक्षा के तौर पर रखा है। जब सरकार ने विभिन्न राज्यों का एकीकरण किया तो क्या सरकार ने इस बात की कोई पूछताछ की थी कि राजाओं के पास कितना सोना जमा है? यदि उन्हें पता है तो विधेयक को अधिक कड़ा बनाया जाना चाहिए ताकि सरकार उस सोने को अधिक सफल तरीके से प्राप्त कर सके।

मैंने सोचा था कि जिन लोगों के पास सोना है वे स्वेच्छा से अपना जमा सोना दे देंगे। परन्तु मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि अन्य लोगों के पास सोना जमा है परन्तु किसी ने यह नहीं कहा है कि मेरे पास इतना सोना है और कल मैं इससे स्वर्ण-बाण्ड खरीदूंगा।

इस योजना के पक्ष में जोरदार प्रचार करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये और लोगों को बताया जाये कि सरकार ने सोने के लिये बहुत अच्छी शर्तें रखी हैं। परन्तु इसमें एक कठिनाई है और वह है विधवाओं के बारे में जिन्हें अपना पेट भरने के लिये उस सोने पर ही निर्भर करना पड़ता है जो उनके पास हो। यदि ऐसी कोई व्यवस्था की जाये कि उनको बीच-बीच में ब्याज मिलता रहे तो सरकार को अधिक सोना मिल सकता है।

मैं सरकार के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस दिशा में आदर्श पेश करें और जोरदार प्रचार करें तो इससे यह योजना अधिक सफल होगी।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का एकमत समर्थन किया है। अधिकांश सदस्यों ने एक ही बात उठायी है और वह है स्वर्ण-बांड।

---

†मूल अंग्रेजी में

समय-समय पर वित्त मंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा है कि वह इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि देश में गड़े हुए सोने को किस प्रकार निकाला जाये । कुछ सोने के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये जानकारी एकत्र करने के साधन कम हैं और पर्याप्त नहीं हैं, अतः हम इस बारे में ठीक बात नहीं बता सकते । परन्तु यह सत्य है कि देश में बहुत अधिक सोना पड़ा हुआ है जिसे निकाला जाना है ।

वित्त मंत्री ने कई बार घोषणा की है कि वह इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि सोने को किस प्रकार निकाला जाये और इसके मूल्य किस प्रकार कम किये जायें । कोई निर्णय करने से पूर्व उनका ब्योरा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उससे लोगों में भय फैलने की आशंका है ।

जहां तक स्वर्ण-बांडों का सम्बन्ध है, ३०-११-६२ तक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दर पर, हमें लगभग ३० लाख रुपये का, ४६,६७५ तोला, सोना मिल चुका था । जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा कोष का सम्बन्ध है, ३-१२-६२ तक सरकार को २२,११८ तोला सोना मिल चुका है । इन स्वर्ण-बांडों की घोषणा के समय और इस कारण कि वित्त मंत्री सोने के मूल्य कम करने के लिये मार्गोपाय सोच रहे हैं, सोने के दाम बहुत तेजी से गिरे । अब मैं समझती हूं कि बहुत से लोग जो इन आकर्षक शर्तों के कारण स्वर्ण-बांडों में सोना लगा देते, बाजार की हालत देख रहे हैं । मुझे आशा है कि इसका प्रत्युत्तर बहुत उत्साहजनक होगा ।

एक माननीय सदस्य ने पूछा कि ब्याज कब दिया जायगा । स्वयं अधिसूचना में यह स्पष्ट है । समस्त बांडों पर ६ ½ प्रतिशत वार्षिक ब्याज होगा जो वर्ष में दो बार १२ मई तथा नवम्बर मास में देय होगा । इसमें अपवाद यह है कि प्रथम छमाही का ब्याज ११ मई, १९६३ के दिन से 'टेन्डर' की तिथि से लेकर अवधि तक सीमित हो जाये । अतः यह कहना कि इससे विधवाओं पर तथा अन्य निर्धन लोगों पर, जिनके पास कुछ तोला ही सोना है, प्रभाव पड़ेगा, ठीक नहीं है ।

श्री प्रभात कार ने कहा है कि हमने रियायतें अधिक दी हैं । परन्तु माननीय सदस्य यह भी देखें कि हम ये बांड उस अवधि में चालू बाजार भाव के आधे पर जारी कर रहे हैं । हमारा मूल उद्देश्य बड़ी मात्रा में सोने को निकालना है और जब तक हम ब्याज की दर आकर्षक नहीं रखेंगे हम सारे सोने को निकालने की बात नहीं सोच सकते । अतः ब्याज की अधिक दर पर आपत्ति न की जाय क्योंकि यदि हम लोगों को कोई प्रेरणा नहीं देंगे तो हम कोई परिणाम प्राप्त न कर सकेंगे । दूसरे इन बांडों पर जो ब्याज दिया जायेगा वह कर-मुक्त नहीं है ।

कल एक माननीया सदस्या ने कर-संग्रह में कमी और व्यय में वृद्धि की बात उठायी थी । मैंने बताया कि हमारे कर-संग्रह में भी वृद्धि हुई है । हमारे राजस्व में वृद्धि हुई है और हमारा अनुपाती व्यय बहुत कम है । वर्ष १९५९-६० में यह २५४.७१ करोड़ रुपये था, वर्ष १९६०-६१ में २७७.५५ करोड़ रुपये और १९६१-६२ में ३२१.५४ करोड़ रुपये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस सभा की आभारी हूं कि उसने विधेयक का समर्थन किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर विधेयक, १९६१ और धन-कर विधेयक, १९५७ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खंडवार चर्चा होगी । किसी खंड पर कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खंड २ से ५ तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ से ५ तक विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधयक को पारित किया जाय ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ और श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, १९५८ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक के अधिकांश उपबंधों के सम्बन्ध में मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों से परामर्श किया गया था और कुछ बातों के सम्बन्ध में समझौता कर लिया गया था । सर्वाधिक महत्व का एक उपबंध स्वेच्छा से त्यागपत्र और अन्त:करण के आधार पर उपदान के भुगतान के बारे में है । इस प्रश्न पर मालिकों से समझौता नहीं किया जा सका । सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च, १९५८ में एक्सप्रैस समाचारपत्र बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय देते हुए श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ की धारा ५(१)(क)(३) को इस आधार पर गलत बताया कि इससे संविधान के अन्तर्गत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है । उन्होंने बताया कि उपदान एक अवधि में अच्छी, कुशल और वफादार सेवा के लिये पारितोषक है और यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है और सेवा समाप्त हो जाती है तो कुछ अपवाद वाले मामलों को छोड़कर उदपान देने का कोई औचित्य नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सर्वोच्च न्यायालय ने अपवाद वाले जो दो मामले बताये उनमें एक 'अन्तःकरण खंड' है और दूसरे जब कर्मचारी काफी समय तक निरन्तर उस मालिक की सेवा में रहा हो ।

जहां तक अन्तःकरण के आधार का सम्बन्ध है, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ देशों में चालू प्रक्रिया का उल्लेख किया । यह संभावना है कि बड़े पेचीदा मामलों पर मतभेद होने पर किसी श्रमजीवी पत्रकार द्वारा एक मालिक के अधीन काम करने में कठिनाई हो सकती है । ऐसी परिस्थिति में पत्रकार द्वारा अर्जित उपदान की हानि के बिना त्यागपत्र का उपबन्ध उचित है और इससे सेवा में कुछ सुरक्षा भी होगी । अधिनियम के मूल उपबन्धों के अन्तर्गत उपदान तीन वर्ष की सेवा के बाद दिया जाता है । अतः यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार तीन वर्ष की सेवा के बाद अन्तःकरण के आधार पर त्यागपत्र दे दे तो वह अधिनियम के अन्तर्गत देय सामान्य उपदान का हकदार होगा । श्रमजीवी पत्रकार के उदपान के दावे के बारे में प्रश्न उठाना औद्योगिक विवाद समझा जायेगा । अतः आपसी वार्ता टूट जाने पर और यदि समझौता अधिकारी समझौता कराने में असफल हो तो श्रमजीवी पत्रकार के दावों को औद्योगिक सम्पर्क व्यवस्था के साथ विवाद के रूप में उठाया जायेगा और उचित सरकार मामले पर विचार करके इसे न्याय-निर्णयन के लिये सौंप देगी । इससे मालिकों को झूठे दावे उठाये जाने से राहत मिलेगी ।

जहां तक अधिक सेवा के बाद त्यागपत्र देने का सम्बन्ध है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं एक अन्य निर्णय में बताया कि दस वर्ष की सेवा के बाद स्वेच्छा से त्यागपत्र देने पर उपदान के लिये औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा उपदान योजना पंचाट बनाया जाये । बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं यह कहा कि हर समय के लिये यह नियम नहीं हो सकता । यह अवधि उचित है और इस विधेयक में इसको आधार के रूप में स्वीकार किया गया है ।

एक अन्य खंड, जिस पर मालिक और श्रमजीवी पत्रकार सहमत नहीं हुए हैं, वह है जिसमें यह कहा गया है कि यदि अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी अथवा निगमित निकाय हो तो प्रबंध से संबंधित प्रत्येक संचालक, प्रबन्धक सचिव, आभकर्ता अथवा अन्य अधिकारी को उस अपराध का दोषी समझा जायेगा ।

श्रमजीवी पत्रकारों की मजूरी के ढांचे पर पुनर्विचार करने के प्रयोजन के लिये समय समय पर मजूरी बोर्डों के निर्माण की व्यवस्था करने का भी विचार है । अधिकांश उपबन्ध प्रेस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार हैं । विधेयक में उपबन्ध है कि श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्डों में दो दो व्यक्ति मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि होंगे और तीन स्वतंत्र व्यक्ति जिनमें से एक को सभापति नियुक्त किया जायेगा । वर्ष १९५५ के अधिनियम में उपबन्धित उपबन्ध के अतिरिक्त दो और स्वतंत्र व्यक्तियों को सारे वर्ग और मजूरी बोर्ड में मालिकों और श्रमजीवियों के तिनिधियों द्वारा वर्ग हितों का बराबर बराबर प्रतिनिधान करने के लिये रखा गया है ।

मूल अधिनियम में श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के उपबन्धों की क्रियान्विति की देख-भाल करने के लिये इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । प्रेस आयोग की यह भी एक सिफारिश है । इस कमी को दूर किया जा रहा है ताकि राज्य सरकारें इंस्पेक्टर नियुक्त कर सकें और अखबारों के संस्थापनत्रों से रजिस्टर, हाजिरी की किताब और अन्य रिकार्ड आदि रखने को कहें ।

सरकारी कर्मचारियों को विधेयक के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि उनको विभिन्न सेवा नियमों के लाभ प्राप्त हैं जो अधिनियम के अन्तर्गत शर्तों और निबन्धनों से

[श्री चे० रा० पट्ट भिरामन]

अधिक उदार हैं । फिर इस सम्बन्ध में, यदि उनको अन्य सरकारी पदों पर, जहां उनको पत्रकारिता कार्य न करना पड़े, स्थानान्तरित किया जाये तो इसमें प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं । अतः सरकारी कर्मचारियों को श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के क्षेत्र से बाहर रखा गया है । सम्बन्धित सेवा संस्थाओं से परामर्श कर लिया गया है और वे सहमत हो गये हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक प्रस्तुत करती हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : औचित्य प्रश्न के हेतु । संविधान के अनुच्छेद १४ में लिखा है :

"भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जायेगा ।"

मंत्री महोदय विधेयक के खंड १९(ख) द्वारा सरकाराधीन काम करने वाले पत्रकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकारों के बीच भेद करना चाहते हैं । जो पत्रकार सरकार के अधीन काम कर रहे हैं उन्हें विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखा गया है और यह केवल उन पत्रकारों पर लागू होता है जो गैर-सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं । अतः यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १४ का उल्लंघन करता है । अतः इस प्रश्न पर विचार न किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : विधेयक पर विचार न किये जाने का यह कारण हो सकता है परन्तु इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । वह सम्बन्धित खंडों पर अपने संशोधन रखें अथवा आपत्तियां पेश करे । यह औचित्य प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : निस्संदेह इस विधेयक में कुछ अच्छी बातें हैं तथापि इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं सरकार को चाहिये था कि वह एक अधिक अच्छा और व्यापक विधेयक प्रस्तुत करती । आज यह कहा जाता है कि पहिले पत्रकारिता जीवनधर्म था किन्तु आज मात्र व्यवसाय रह गया है । इसके कारण पत्रकार नहीं, अपितु वे स्थितियां हैं जिनका पत्रकारों को सामना करना पड़ रहा है । तथापि हर्ष का विषय है कि इतने पर भी इतना सन्तोषजनक कार्य हो रहा है ।

१९५४ में प्रैस आयोग ने यह सुझाव दिया था कि प्रैस परिषद् का निर्माण किया जाये किन्तु आज तक प्रैस परिषद् का निर्माण नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में ६ वर्ष का विलम्ब हुआ क्योंकि सरकार को ज्ञात हुआ कि अधिनियम पर ठीक तरह से अमल नहीं किया जा रहा है ।

सरकार ने इस विधेयक के द्वारा यह उपबंध किया है कि निरीक्षक इस बात का पता लगायें कि क्या विधेयक के निदेशों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है । मैं इन उपबन्धों से सहमत हूँ । तथापि इन उपबंधों को समाविष्ट करने के लिये ६ वर्षों का समय लगा ।

यह बात सभी जानते हैं कि देश के समाचार पत्रों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार है और वे ही देश के सभी लोगों के समाचार पत्रों की नीतियों का निदेश करते हैं । इस प्रकार अखबारों की एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उक्त उपबंध बहुत आवश्यक था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दु:ख का विषय यह है कि भतपूर्व श्रम–उपमंत्री ने इस संबंध में सभा को आश्वासन दिया था कि उपदान संबंधी खंड को भूतलक्षी अवधि से लागू किया जायेगा, तथापि ऐसा नहीं किया गया है।

श्रमजीवी पत्रकारों के मजूरी बोर्ड के संगठन में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये जैसा कि विधेयक में करने का प्रस्ताव है। उसमें एक न्यायाधीश अवश्य होना चाहिये उसे बोर्ड के सभापति के रूप में काम करना चाहिये।

उपदान के भुगतान के संबंध में समय की सीमा खत्म की जानी चाहिये। उसका भुगतान श्रमजीवी पत्रकार के सेवाकाल का विचार न करते हुए किया जाना चाहिये।

मजूरी बोर्ड की स्थापना के संबंध में कोई निश्चित घोषणा नहीं की गयी है। १ दिसम्बर, १९६२ को मंत्रालय द्वारा एक संसद् सदस्य को एक पत्र में बताया गया है कि सरकार मजूरी बोर्ड की स्थापना की संभावनाओं पर विचार कर रही है। तथापि अभी भी इस संबंध में कोई निश्चित कदम नहीं उठाया गया है।

संशोधनों से यह स्पष्ट है कि इस विधेयक में कई गम्भीर त्रुटियां हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): रेमेरे विचार से सभा में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी श्रमजीवी पत्रकारों से सहानुभूति न हो। निस्संदेह सभी देशों में पत्रकारों की हालत खराब है तथापि हम देश में तो पत्रकारों की हालत और भी खराब है।

पत्रकार का व्यवसाय इस कारण भी कठिन है कि उसे कई बार अपनी अन्तरात्मा के खिलाफ भी काम करना होता है। और अपनी अन्तरात्मा के विरुद्ध काम करना सबसे दुखदायी होता है। इसमें संदेह नहीं कुछ व्यक्ति अपने सिद्धांतो के सामने किसी बात की परवाह नहीं करते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कभी–कभी उन्हें अन्त:करण के आधार पर नौकरी भी छोड़ देनी होती है। कुछ भी हो अभी तक सरकार की ओर से श्रमजीवी पत्रकारों की स्थिति सुधारने का पर्याप्त प्रयत्न नहीं हुआ है।

सरकार ने प्रैस आयोग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने में सुस्ती की है। अभी तक प्रैस परिषद् की स्थापना भी नहीं हुई है।

उपदान का हकदार होने के लिये निर्धारित अवधि यथासंभव कम की जानी चाहिये। विधेयक के अंत:करण संबंधी खंड को संशोधित रूप में प्रस्तुत करना चाहिये।

मजूरी बोर्डों का संगठन ऐसा होना चाहिये कि उनका काम तेजी से चल सके उसमें मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों के दो और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्तर का एक व्यक्ति होना चाहिये।

विधेयक में इन्सपेक्टरों की नियुक्ति संबंधी जो उपबंध रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आशा है वे प्रैस के ठेकेदारों के अधीन नहीं होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है। उसे इस तरह व्यापक बनाया जाये कि उसके अधीन पत्रकारिता से संबंध रखने वाले सभी व्यक्ति आ जायें।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर): इस विधेयक से एक इस बात का संबंध है कि आजकल समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही नहीं अपितु सरकार का भी प्रभाव है। यद्यपि श्रमजीवी पत्रकारों से हमें पूर्ण सहानुभूति है, फिर भी हम चाहते हैं कि वे कुछ अधिक स्वतन्त्र हों। यदि कोई समाचारपत्र सरकार की इच्छानुसार कार्यवाही नहीं करता तो उसे सरकारी विज्ञापन नहीं दिये जाते जिनसे समाचारपत्र को काफी आय होती है। अतः मेरी इच्छा है कि सरकार इस ओर उचित ध्यान दे और आजकल भारत में पत्रकारिता की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप न करे।

इस विधेयक में एक या दो त्रुटियां हैं। इनमें से एक त्रुटि यह है कि सरकारी प्रैसों में और प्रचार विभाग के कर्मचारियों को इस विधयक के लाभ नहीं दिय गये हैं। दूसरी बात विशेष महत्व की यह है कि पत्रकारों को आजकल कुछ जोखिम उठानी पड़ती हैं। आजकल जबकि हम एक प्रकार से युद्ध लड़ रहे हैं, पत्रकारों को युद्ध-क्षेत्र में जाना पड़े और यह उचित होगा कि यदि सरकार उनको चोट लगने पर या उनकी मृत्यु होने पर उन्हें कुछ प्रतिकर दे। यदि इस विधेयक में यह एक विशेष उपबन्ध कर दिया जाता तो, अधिक अच्छा होता। आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

इस विधेयक में समाचारपत्रों में दस या अधिक वर्षों तक सेवा करने वालों के लिए उपदान की दर कम रखी गई है। दूसरी बात का संबंध मजूरी निश्चित करने के लिए स्थापित होने वाले बोर्ड के बारे में है। बोर्ड में नामनिर्देशित पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त तीन स्वतंत्र व्यक्ति होंगे। कुछ व्यक्तियों को सन्देह है कि शायद वे सन्तुलन करने के लिए नियुक्त किये जायेंगे। अन्यथा वे सर्वथा बेकार होंगे। अतः मेरा सुझाव है कि पांच व्यक्तियों का बोर्ड सर्वथा सन्तोषजनक है। फिर, अभ्यावेदन करने की सूचना देने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है; मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह बात बोर्ड पर छोड़ दी गई है कि वह सूचना-काल निर्धारित करे। इसके विपरीत मेरा प्रस्ताव है कि सूचना देने के लिए ६० दिन का समय निर्धारित किया जाये।

श्री बड़े: अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल आया है, उसमें चूंकि बहुत सी अच्छी बातें हैं और वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिये फायदेमन्द हैं इसलिये मैं कुछ अंशों में उसका समर्थन करता हूं।

इसके साथ साथ जो ग्रैचुइटी का प्राविजन है उसमें यह लिखा हुआ है :

"नाट लेस दैन टेन इअर्स"

जब कोई दस साल तक सर्विस कर लेगा तब उसे ग्रैचुइटी मिलेगी। इसके सम्बन्ध में मैं यह कहता हूं कि जब शासन इतना उदार हो गया है तो साथ साथ कंजूसी भी क्यों करता

---

†मूल अंग्रेजी में

है। अगर उनकी कंडिशन्स दरअस्ल खराब हैं तो वर्किंग जर्नलिस्ट्स के काम की शर्तें उनको भी मुक्त हस्त से मिलनी चाहियें। लेकिन जहां तक मैंने देखा है उनको हर जगह पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ग्रैचुएटी के केस में भी ऐसा ही हुआ है, आगे जाकर वेज बोर्ड के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है। वेज बोर्ड का जब डिसीजन होगा तब उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके दर्म्यान में उनको जो वेज मिलनी चाहिये उसके लिये कोई प्राविजन नहीं है। जब मैंने इस बिल के क्लाज ८ के १९(बी) को पढ़ा तो मुझ को ऐसा प्रतीत हुआ कि शासन ने इस जगह एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। यह सब क्लाज १९ (बी) एक सेविंग क्लाज है।

इस वास्ते शासन इस १९(बी) में यह चाहती है कि जो लोग गवर्नमेंट प्रेस में काम करते हैं उनको इसके प्रिविलेजेज और कंडिशन्स न मिलें। इसके लिये मैंने प्वांइट आफ आर्डर भी उठाया था लेकिन चेअर से यह आदेश मिला कि कोई चीज अल्ट्रा वायर्स या कांस्टिट्यूशन के विरुद्ध है या नहीं इस को इस हाउस को देखने की जरूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में १९ (बी) में जो है उसके अनुसार शासन का यह कहना है कि जो वर्कर्स गवर्नमेंट प्रैस में काम करते हैं उनको ज्यादा फेसिलिटीज हैं और जो प्राइवेट प्रेस में काम करते हैं उन को ज्यादा फेसिलिटीज नहीं हैं। मैं गवर्नमेंट के इस कथन से सहमत नहीं हूं। एक रजिस्टर्ड सोसायटी है गवर्नमेंट वर्कर्स की जब उन्होंने गवर्नमेंट को नोटिस दी कि वह उन्हें भी वही फेसिलिटीज दें जो कि दूसरे वर्किंग जर्नलिस्ट्स को मिलती हैं तो गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट गजट न्यूज पेपर नहीं है और गवर्नमेंट प्रेस न्यूज पेपर प्रेस नहीं है। मैंने देखा कि डिक्शनरी में गजट के माने हैं आफिशल न्यूजपेपर। जब उस का न्यूज पेपर अर्थ निकलता है तो शासन ने किस तरह से यह कहा कि यह न्यूज पेपर नहीं है, यह मुझे मालूम नहीं होता है। शासन ने यह भी लिखा है कि उन्हें दूसरे ऐडवान्टेजेज मिलते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि दूसरे ऐडवान्टेजेज उन को नहीं मिलते हैं। जैसे कि अर्न्ड लीव है। प्राइवेट प्रेस के वर्कर्स को जिस तरह से अर्न्ड लीव मिलती है उस तरह से गवर्नमेंट प्रेस के वर्कर्स को नहीं मिलती है। उन को कम मिलती है। इसी प्रकार से जो लोग गवर्नमेंट प्रेस में काम करते हैं उन्ह ८ अवर्स काम करना पड़ता है और प्राइवेट सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उन को ६ अवर्स ही करना पड़ता है। इसी प्रकार से उन की ग्रैचुइटी के नियम अलग हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने जो यह कहा है कि उन को शासन में होने से ज्यादा फायदा मिलता है यह ठीक नहीं है।

आनरेबल मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उन का ट्रांस्फर भी एक जगह से दूसरी जगह को उसी कार्य के लिए किया जाता है। लेकिन मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि जो प्रूफ रीडर्स हैं उन्हें कितना वर्क करना पड़ता है क्या इस को कभी शासन ने देखा है ? क्या जो प्रूफ रीडर्स गवर्नमेंट प्रेस में काम करते हैं वह अलग हैं और जो प्राइवेट प्रेस के प्रूफ रीडर्स हैं उन की आई साइट, उन का माइन्ड और उन के व्यूज अलग हैं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होता है। दोनों जगहों के वर्कर्स एक जैसा काम करते हैं। आप शासन में ही देखिये। जो लोग पार्लियामेंट प्रेस में काम करते हैं उन पर वर्किंग जर्नलिस्ट्स ऐक्ट लागू होगा लेकिन जो लोग गवर्नमेंट प्रेस में काम करते हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। यहां पर गवर्नमेंट के १०० वर्कर्स हैं, उसी के साथ कलकत्ते, बम्बई में जो वर्कर्स हैं वह भी हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। इस तरह का डिफरेंस करने के सम्बन्ध में जब कंसेशन आफिसर्स ने नोटिस दिया तो उन्हें जवाब दिया गया :

> "सरकार का मत है कि भारत का राजपत्र श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम, १९५५ के अर्थों में समाचारपत्र नहीं है। अतः संघ के द्वारा उठाये गये विवाद

[श्री बड़े]

का कोई आधार नहीं है। यदि आप आगे बात करना चाहें तो २८ अगस्त, १९६२ को २-३० बजे इस कार्यालय में आजायें।"

यह जवाब दिया गया है सेक्रेटरी, रीडिंग स्टाफ ऐसोसिएशन को। उस के बाद जब रीडिंग स्टाफ ऐसोसिएशन ने शासन को नोटिस दिया कि हम कोर्ट में जाते हैं तब यह बिल सामने प्रस्तुत हुआ है। फिर यह बिल भी कैसे प्रस्तुत हुआ है ? आज तक यह बिल प्रस्तुत नहीं हुआ। इस के लिये हम ने इस सदन में आवाज उठाई। उस के बाद हमारे सामने हमारे राइट्स को मान कर यहां यह बिल लाया गया है। लेकिन जब बिल प्रस्तुत हुआ तो बिजनैस कमेटी में नहीं गया। फिर यहां कामत साहब ने आवाज उठाई कि यह बिल यहां क्यों नहीं प्रस्तुत होता है? कामत साहब को यह जवाब दिया गया कि वह प्रस्तुत हो गया है। लेकिन बिल को प्रस्तुत करने का कारण क्या था ? लीगल नोटिस दी गई थी कि हम कोर्ट में जायेंगे, गवर्नमेंट गजट के वर्कर्स की तरफ से, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है। इमर्जेन्सी के टाइम में यह बिल लाना नहीं चाहिए था और इस से शासन के कर्मचारी नाराज होते हैं तो इस को लाने की जरूरत नहीं थी। और अगर लाये हैं तो फिर सब क्लाज १९ (बी) को इस में डालने की जरूरत नहीं थी।

हम देखते हैं कि गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारियों की पे कम है। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को पे ज्यादा मिलती है। वहां पर ३७५ रु० तक वेतन जाता है और गवर्नमेंट प्रस में १२५ रु० से शुरू हो कर ३०० रु० पर जल्दी ही खत्म हो जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों की पे में फर्क है, वर्किंग अवर्स में फर्क है, ग्रैचुइटी में फर्क है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस को इंग्लिश में प्रेजुडिस कहते हैं। शासन के दिल में अपने कर्मचारियों के विरुद्ध प्रेजुडिस पैदा हो गई है, गवर्नमेंट गजट के जो वर्कर्स हैं उन के अन्दर यह कल्पना आ गई है। इस वास्ते यह बिल एक दम से यहां प्रस्तुत किया गया है। अब तक इस को सरकार टालती रही है, लेकिन जब हमने बहुत प्रेस किया तब फिर यह सामने लाया गया है। इसलिए मेरी विनती शासन से यह है कि जब गवर्नमेंट प्रेस के वर्कर्स वही आम करते हैं जो कि दूसरे प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स करते हैं, और गवर्नमेंट प्रेस कोई जाब प्रेस नहीं है, जो गवर्नमेंट के बुलेटिन निकलते हैं वही उसमें छपते हैं, गजट छपता है और तरह तरह का लिटरेचर छपता है एम्बैसीज के द्वारा दूसरे देशों में भेजने के लिए, तब कम से कम इन दोनों तरह के जो वर्कर्स हैं उन से treatment डिफरेंस नहीं किया जाना चाहिए।

इस के साथ साथ मेरा यह भी कहना है कि आज कल जितने न्यूज पेपर्स छपते हैं वे अधिकतर पूंजीपतियों के हैं। जितने पूंजीपति या पैसे वाले हैं उन को प्रेस बेच दिया जाता है और उस के बाद उस में मिनिस्टरों के फोटो निकलते हैं। दरअस्ल कुछ ही ऐसे प्रेस हैं जो सच्ची बातें सामने लाते हैं और उन को छापते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रेस ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की नीतियों और गवर्नमेंट की ही व्यूज को सामने लाते हैं और सच्ची बातों की प्रजा के सामने नहीं लाते हैं क्योंकि एक तरह से वे प्रेस उन पूंजीपतियों को बेच दिये गये हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रेस का विशेष रूप से बढ़ावा हमारे यहां हुआ है, प्रेस यहां पर जब इतना ज्यादा फायदा उठाते हैं तो दरअस्ल वर्कर्स को भी उस फायदे का हिस्सा मिलना चाहिए। जैसा यहां पर मुझ से पूर्व एक वक्ता ने कहा कि यहां पर पैम्फलेट्स वगैरह भी बांटे गये हैं, मैं उस से सहमत हूं और कहना चाहता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स को जो फायदा देना चाहिए था उस को सब सेक्शन १९ (बी) बना कर शासन ने नहीं दिया है और इस सब क्लाज को वापस ले लेना चाहिए क्योंकि आज इमर्जेन्सी के जमाने में उस से वर्किंग क्लास में नाराजी

पैदा होगी और शासन के बारे में क्षोभ उत्पन्न होगा। १९ (बी) के क्लाज के पहिले दिल्ली में इस के लिये जो एक व्हिस्परिंग कैम्पेन चल रही है कि शासन ने हमारे हकों के ऊपर कुठाराघात किया है, यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैं ने प्वाइंट आफ आर्डर भी उठाया था।

इन शब्दों के साथ मैं सब क्लाज १९ (बी) का विरोध करता हूं और बाकी जो प्राविजन्स रखे गये हैं वर्किंग जर्नलिस्ट्स (अमेंडमेंट) बिल में उन का समर्थन करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, इस विधेयक का इतिहास वर्ष १९५८ से आरम्भ होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह उपबन्ध-विशेष संविधान में उपबन्धित मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसी निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि मजूरी की दर निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड स्वयं अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति को सरकार ने तुरन्त पूरा किया परन्तु पहिले भाग को छोड़ दिया। इस सम्बन्ध में पहिले एक मजूरी समिति बनाई गई जिसने रिपोर्ट दी जिसके आधार पर २९ मई, १९५९ को एक आदेश निकाला गया। लेकिन उपदान सम्बन्धी निर्णय के सम्बन्ध में सरकार ने आशा के विरुद्ध उपेक्षा से काम लिया। इस प्रकार सरकार ने इस बारे में सभा में विधान प्रस्तुत करने में चार वर्ष से अधिक ले लिए। फिर, वर्ष १९५८ के अधिनियम जिस धारा के अन्तर्गत मजूरी समिति बनाई गई थी उसी के अन्तर्गत यह भी उपबन्ध था कि आदेश जारी होने से तीन वर्षों के अन्दर दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त किया जायेगा। सरकार ने यह बोर्ड अभी तक नहीं बनाया है। आशा है कि सरकार इस विधान के स्वीकृत होने के बाद यथाशीघ्र मजूरी बोर्ड बनायेगी। उसके बाद १९५८ का अधिनियम लागू न रहेगा और वर्ष १९५५ का ही अधिनियम लागू रहेगा। इस परिस्थिति में सरकार को यह अधिनियम और अधिक व्यापक बनाना चाहिए था।

अधिकारों सम्बन्धी धारा ५ उसे पिछली तारीख से लागू नहीं करता जबकि उसे उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से लागू किया जाना चाहिए था। यदि इस तारीख से इसे लागू न किया जा सके तो कम से कम १ जुलाई, १९६१ से लागू करना चाहिए जो कि सरकार की ओर से त्रिदलीय समिति ने सुझाई थी। इस सम्बन्ध में मैं फिर कहूंगा कि सरकार श्रमजीवी पत्रकारों के साथ न्याय नहीं कर रही है क्योंकि जब भी उच्चतम न्यायालय ने किसी भी अधिनियम के किसी उपबन्ध को गलत कहा, सरकार ने तत्काल उसमें संशोधन कर दिया। परन्तु इस अधिनियम को चार वर्ष तक असंशोधित रहने दिया गया। अतः मेरा निवेदन है कि यदि सरकार इसे तत्काल संशोधित न कर सकी, तो कम से कम इसे १ जुलाई, १९६१ से तो लागू कर दे।

उपदान की मात्रा जो स्वेच्छा से त्यागपत्र देने वालों पत्रकारों को दिया जायेगा, १२½ मास का औसत वेतन निर्धारित की गई है और ऐसा करने में सेवा-काल का कोई विचार नहीं किया गया है। इस कारण यह और भी अधिक अनुचित बात है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ कर दी है। यदि सरकार समूचे काल के लिए प्रति वर्ष १५ दिन का औसत वेतन उपदान के रूप में देने के प्रश्न पर विचार करने को तैयार नहीं है तो कम से कम १५ महीने का वेतन तो दिया जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने भी 'एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स' के मामले में यही सुझाव दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया था कि अन्तर्भावना खंड अपवाद रूप में ही होना चाहिये, हालांकि उसने धारा ५ के इस विशेष उपबन्ध को काट दिया था। प्रो० मुकर्जी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

ने आई०ई० एन० एस० के एक परिपत्र का उल्लेख किया था जिसमें अन्तर्भावना पर आपत्ति की गयी थी। उसमें उल्लेख है कि "अन्तर्भावना रखना सराहनीय है।" यह क्या बात है ? प्रत्येक व्यक्ति अन्तर्भावना रखता है। श्रीमान्, मेरे लिए अन्तर्भावना की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय मि० बी० सी० पाल, मि० सुरेन्द्रनाथ माजूमदार, मि० पी० के० चक्रवर्ती, आदि सम्पादकों ने अन्तर्भावना के कारण ही समाचार पत्रों के सम्पादक-पद को छोड़ दिया। अन्तर्भावना के बारे में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि यदि विकल्प मेरी सलाह और माता व पिता की सलाह के बीच है, तो माता व पिता की सलाह मानो, और यदि विकल्प माता व पिता की सलाह और अन्तर्भावना के बीच है, तो अन्तर्भावना को मानो।" अतः यह खण्ड महत्व पूर्ण है और उप मंत्री को उस खण्ड पर से समय-सीमा हटानी चाहिये ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): श्रीमान्, इस संशोधनकारी विधेयक में उपदान, मजूरी बोर्ड और सरकार के अधीन काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों को अलग रखने के सम्बन्ध में तीन मुख्य प्रस्ताव किये गये हैं। श्रीमान्, मैंने वर्ष १९५५ में भी उपदान सम्बन्धी चर्चा में भाग लिया था। उस समय डा० केसकर ने कहा था कि "जहां तक हमारा संम्बन्ध है, अन्य उद्योगों तथा पेशों में विद्यमान स्थितियों का उचित विचार रखकर हमने श्रमजीवी पत्रकारों को पिछली तारीख से उपदान दिया जाना चाहिये और सभी अन्य पेशों में उपदान दिया जाना चाहिये।' मात्रा के बारे में भी कहते हैं कि जो अन्तर्भावना के कारण त्याग पत्र दे उसे १२½ प्रतिशत से अधिक उपदान नहीं दिया जायेगा। क्या यह कहा जाता है कि ३० वर्ष सेवा करने के बाद व्यक्ति की अन्तर्भावना समाप्त हो जायेगी ? जिस आयोग ने इस बारे में विशिष्ट उल्लेख किया था कि उपदान कदाचार के कारण सेवा से हटाने के मामलों को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में १५ मास के वेतन उपदान-स्वरूप दिया जायेगा। हम समझते हैं कि त्यागपत्र और समाचारपत्रों के सभी मामलों में सेवा निवृत्ति-लाभों में एकरूपता होनी चाहिये। अतः वे कहते हैं कि समाचारपत्रों की क्षमता भुगतान करने की नहीं है। श्रीमान्, सरकार को अपना निश्चय करना चाहिये। प्रश्न यह है कि समाचारपत्र उद्योग भुगतान नहीं कर सकता। पिछले दो, तीन वर्षों में अनेक पत्रकारों को किसी न किसी कारण ११, १२ वर्ष सेवा करने के बाद सेवा छोड़नी पड़ी। अतः यह उचित है कि यह अधिनियम १ जुलाई, १९६१ से नहीं, अपितु १८ मार्च, १९५८ से लागू होना चाहिये।

मेरा ख्याल है कि मजूरी बोर्ड में तीन स्वतन्त्र व्यक्तियों को रखने में कोई औचित्य नहीं है। इस समय इसमें परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता है। फिर, यह बोर्ड कब बनेगा, क्योंकि इस विधेयक में इस बारे में कोई विशेष स्पष्ट उपबन्ध नहीं है। श्रम जीवी पत्रकारों के बयान में भी कहा गया है कि मजूरी बोर्ड वर्ष १९६२ में बनना चाहिये। सरकार को यह घोषणा अवश्य करनी चाहिये कि वे मजूरी बोर्ड कब बनायेंगे।

दूसरी बात सरकारी श्रमजीवी पत्रकारों पर इस अधिनियम को लागू न करने की है। १९५५ के अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध न था। क्या उन्हें उपलब्ध सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है ; यदि हां, तो क्यों ? इस बात पर उस समय क्यों विचार नहीं किया गया ? इस तर्क में काफी तथ्य है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एकमात्र कारण यह है कि सरकारी सेवा में श्रम जीवी पत्रकारों को इसके उपबन्धों से अलग रखा जाये। ऐसा करने का एक यह तर्क दिया जाता है कि सरकारी नियमों तथा विनियमों में सेवा की अच्छी शर्तों का उपबन्ध है। परन्तु इस बात को संबंधित कर्मचा-

---

†मूल अंग्रेजी में

रियों न आंकड़ों के आधार पर गलत बताया है। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी काफी कम है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या बताया गया अन्तर ठीक नहीं है।

हम जानते हैं कि श्रमजीवी पत्रकारों को किन स्थितियों में काम करना पड़ता है। उनका कार्य एक विशेष कार्य है। एक ओर वे यह तर्क देते हैं कि उपदान का उपबन्ध इस उद्योग पर लागू नहीं होना चाहिये, और दूसरी ओर मांग करते हैं कि उपदान की गणना औसत वेतन पर नहीं अपितु मूल वेतन के आधार पर करनी चाहिये। वे दोनों ओर ही कठिनाई पैदा करना चाहते हैं।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को कम से कम अब यह विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये बधाई देता हूं। यह ठीक है कि इसे प्रस्तुत करने में कुछ देर हो गई है। परन्तु सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य सरकारों के मत मांगे और फिर एक त्रिदलीय कान्फ्रेंस बुलाई ताकि कोई एकरूप सूत्र खोजा जा सके। यह सब करने में समय तो लगता ही है।

इस विधेयक में अन्तर्भावना संबंधी खंड का रखना ठीक है और इस से पत्रकारों को स्वतन्त्रता से विचार करने का अधिकार तथा अन्य स्वतन्त्रतायें मिलती हैं। अतः इस खंड के शामिल होने पर पत्रकारिता में कोई एकस्वाधिकार की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। फिर, मैं नहीं चाहता कि १९५५ के मूल अधिनियम में "श्रमजीवी पत्रकार" की परिभाषा वाले खंड में परिवर्तन किया जाय। मैं सरकार से निवदन करता हूं कि वह समाचारपत्रों के कार्यालयों में क्लर्कों, आदि का भी ध्यान रखें। यदि यह हो जाय तो इस पेशे के एक वर्ग को लाभ पहुंचेगा जो अभी तक इससे वंचित है। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति स्वयं चाहते हैं कि उनकी सवायें समाप्त कर दी जायें, उनके लिये उपदान सम्बन्धी उपबन्ध किया जा रहा है। सरकार ने वर्ष १९६१ के उच्चतम न्यायालय के निर्णय से लाभ उठा कर एक उपबन्ध रखा है कि १० वर्ष की सेवा वाले व्यक्ति को भी उपदान पाने का अधिकार होगा।

मजूरी बोर्ड की स्थापना के बारे में मेरा विचार है कि इसमें तीन स्वतन्त्र व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। मेरा ख्याल है कि पत्रकारों तथा समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त एक स्वतन्त्र व्यक्ति होना पर्याप्त है जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो और वह बोर्ड का सभापति होना चाहिये। वर्ष १९५८ के अधिनियम का खंड ५(१) (क) (२) हटाया गया था और उसके लिए अब कोई स्थानापन्न होना चाहिये। इसके होने पर ही मजूरी बोर्ड बनाया जा सकता है अन्यथा मजूरी बोर्ड बनाने का कोई लाभ नहीं है।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : अध्यक्ष नहोदय, श्रमजोवी पत्रकारों के सम्बन्ध में इस विधेयक का हृदय से स्वागत और समर्थन करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जब कभी मुझे पत्रकारों का स्मरण आताहै तो मुझे अपने देश के उन दिवंगत पत्रकारों की याद आ जाती है जिन्होंने पत्रकार कला के द्वारा, अपनी कलम के द्वारा स्वतन्त्रता संग्राम में हमारी बहुत बड़ी सहायता और सेवा की थी। और आज भी अपनी स्वाधीनता को परिपुष्ट करने में हमारे पत्रकार जिस जवांमर्दी और मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं, उस के कारण श्रद्धा से हमारा मस्तक उन के सामने झुक जाता है।

१७.१७ [**उपाध्यक्ष महोदय** पीठ.सीन हुए]

इस लिये जब कभी पत्रकारों के सम्बन्ध में कोई भी विधेयक या प्रश्न इस सदन में आता है सदन के प्रत्येक भाग से उस का समर्थन होना और प्रत्येक दल के द्वारा उस में सहयोग प्राप्त होना स्वाभाविक है।

मुझे शिकायत केवल इतनी है कि इस विधेबक को लाने में सरकार की ओर से जितनी तत्परता होनी चाहिये थी, जितनी शीघ्रता से इसे लाया जाना चाहिये था, उतनी नहीं हुई। उस के कई वर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

असमंजस में बीत गये हैं। जब से पहला अधिनियम बना था तब से उस की कमियों के बारे में सरकार को जानकारी प्राप्त होने लगी थी कि उस पर पूरी तौर से अमल नहीं किया जा रहा है, बार बार इस सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन सरकार अभी तक इस विधेयक को यहां नहीं ला पाई। इस बीच में त्रिदलीय सम्मेलन बुलाये गये, उस की बैठकें होती रहीं, जिन की वजह से देरी हुई। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना ही चाहता हूं कि सरकार को अपनी इस देरी के लिये कुछ तो प्रायश्चित्त करना चाहिये, और उस प्रायश्चित का तरीका यह हो सकता है कि जब इतनी देरी में इस विधेयक को लाया गया है तो इस में जो सुविधायें दी गई हैं उन को रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दिया जाये, यानी पहले की तारीख से इस को लागू किया जाय। ऐसा करने पर ही इस का कुछ प्रतिकार हो सकता है। जैसा मुझ से पहले भी कई मित्रों ने कहा है कि अगर और पहले से नहीं तो यह सुविधायें पत्रकारों को १ जुलाई, १९६१ से तो अवश्य ही प्राप्त कराई जायें। ऐसा करने पर ही इस कमी को कुछ प्रतिकार किया जा सकेगा।

इस विधेयक में जिस मजूरी बोर्ड अथवा वेज बोर्ड की स्थापना की जा रही है, उस का भी मैं स्वागत करता हूं। होना तो यह चाहिये था कि चाहे पत्रकार हों चाहे कोई और श्रम जीवी हों, हमारे देश में एक ही बार में सदैव के लिये उन के वेतन स्तर निश्चित कर दिये जाने चाहियें थे और जैसे जैसे जीवन में निर्वाह के साधनों में महंगाई बढ़ती जाय या घटती जाय वैसे ही क्रम में महंगाई भत्ता बढ़ता या घटता जाना चाहिये था। यानी वेसिक पे एक बार निश्चित कर दी जानी चाहिये क्योंकि बार बार वेज बोर्ड की स्थापना को मैं बड़ी खर्चीली व्यवस्था समझता हूं। होना तो यह चाहिये कि हर दूसरे वर्ष कोई ऐसी व्यवस्था हो जिस के अनुसार जीवन निर्वाह के साधनों में जितनी महंगाई बढ़ती या घटती जाय उसी के अनुसार कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स के अनुसार वेतन स्तरों में बढ़ोतरी या कमी होती जाय। लेकिन इस में जिस वेज बोर्ड की स्थापना की जा रही है, उस को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। जैसी व्यवस्था पहले कानून में की गई थी, वैसी इस में नहीं की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो तीन स्वतन्त्र सदस्य नयुक्त किये जा रहे हैं वे क्या कार्य करेंगे। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कि समाचारपत्रों के मालिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे, दो प्रतिनिधि ऐसे होंगे जो श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन यह जो तीन सज्जन हैं वे किस पक्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे और किस दृष्टिकोण को लेकर आयेंगे। मेरे विचार से एक व्यक्ति जिस का पद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का होगा उस की बात तो मानी जा सकती है। लेकिन इस महंगाई के जमाने में जब हम इमेर्जेंसी और असाधारण परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सात सात आदमियों का बोर्ड बना देना, जो कि दो तीन साल बाद अपनी रिपोर्ट देंगे और इतना काफी खर्च होगा, यह कहां तक उचित है। अतः मेरी नाकिस राय में दो दो व्यक्ति एक एक पक्ष के लिये जायें और एक व्यक्ति जो कि सभापति हो, वह जज की हैसियत का हो और उस व्यक्ति को सरकार नामजद करे। इस तरह के पंच पाण्डव या पंच परमेश्वर जैसे पांच व्यक्ति जो निर्णय करेंगे उस को सारा देश स्वीकार कर लेगा।

श्रीमन्, इस की भाषा से कहीं यह नहीं मालूम होता कि इस बारे में सरकार जल्दी करने वाली है। जब परसों हम परिसीमन आयोग के बारे में बातचीत कर रहे थे तो उसके अन्दर यह शब्दावली रख दी गयी थी कि उस अधिनियम के पास होने के बाद जितनी जल्दी हो सकेगा डिलिमिटेशन कमीशन नियुक्त कर दिया जायेगा। लेकिन इस विधेयक में ऐसी कोई शब्दावली नहीं है। इससे मालूम होता है कि या तो सरकार इस की तात्कालिकता के बारे में भ्रम में पड़ी हुई है या वह इसको महसूस नहीं कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें पहले ही काफी देरी हो चुकी है—उसके लिये तो जनता सरकार को क्षमा कर देगी—लेकिन अब आगे इसमें देरी नहीं होगी इसका सरकार को आश्वासन

दे । ाि ये उसे यह भी आश्वासन देना चाहिये कि इस कानून के बनने के बाद सबसे पहले वेज बोर्ड की स्थापना की जायेगी ।

यह खुशी की बात है कि इसमें इंस्पैक्टरों की व्यवस्था की गई है । यें उन सदस्यों में से हूं जो सरकार का ध्यान इस ओर लगातार आकर्षित करते रहे हैं । कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिये जो वेतन स्तर निश्चित किया गया है उस पर अमल नहीं हो रहा है । जब भी इस बारे में सदन में प्रश्न किये गये तो उनका अस्पष्ट सा उत्तर दे दिया गया कि उन पर अमल हो रहा है, लेकिन कितना अमल हो रहा है, और खास कर हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों पर अमल हो रहा है या नहीं इसकी कोई गारण्टी नहीं दी गयी । सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जो इस बात की जांच करती । इसलिये जो यह इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है वह बहुत खुशी की बात है । लेकिन मेरा निवेदन है कि उनके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और यह आदेश दिया जाना चाहिए कि उनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए ।

एक बड़ी कठिनाई यह होती है कि कानून तो केन्द्रीय संसद् बनाती है और अमल उस पर राज्य सरकारों को करना होता है, और राज्य सरकारें जिस गति से कार्य करती हैं, मैं उसकी आलोचना या शिकायत तो नहीं करना चाहता, लेकिन केन्द्रीय सरकार के हमारे कर्णधार इस बात को स्वीकार करेंगे कि राज्य सरकारें बहुत ही देरी करती हैं और कानून पर वर्षों तक तक अमल नहीं किया जाता । अतः इसके लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकारों को आदेश दिया जाना चाहिए कि इस कानून के बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए और उनको आदेश दिया जाए कि वे तत्परता से काम करें और माया मोह में न पड़ जाएं । माया मोह की बात मैंने इस लिये कही कि क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि "सेण्ट्रल एक्साइज" एक इंसपेक्टर साहब किसी कारखाने के दरवाजे पर बैठा दिए जाते हैं और यदि सरकार उनको एक सौ रुपया वेतन देती है, तो मिल मालिक उसको एक हजार रुपया देते हैं और जैसा वे चाहता हैं वैसी ही रिपोर्ट वह इंस्पेक्टर गवर्नमेंट को देता है । ऐसा हमारे सेंट्रल एक्साइज में अक्सर होता है । अतः मेरा निवेदन है कि इन निरीक्षकों पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिए और इनको सख्त ताकीद की जानी चाहिए कि वे दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करें ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि जो पत्रों के मालिक हैं यदि वे रजिस्टर दिखाने से या आंकड़े देने से इंकार करें तो पहली बार उन पर दो सौ रुपया जुरमाना किया जाएगा और दूसरी बार एसा करने पर उन पर पांच सौ रुपया जुरमाना किया जाएगा । में समझता हूं कि जब ये लोग लाखों का कारोबार समाचारपत्रों का कर रहे हैं तो तो इन पर दो सौ या पांच सौ का जुरमाना नगण्य है । यह तो कुछ भी नहीं है । अब वह जमाना नहीं रह गया है जबकि उदाहरण स्वरूप स्व० गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर में प्रतापो "प्रताप" की स्थापना की थी जब वह चटाई पर बैठ कर लेख लिखा करते थे और जब वे लेख उस समाचारपत्र में छपते थे तो नौकरशाही भयभीत होती थी और जनता उनका स्वागत करती थी और उनसे प्रेरणा लेती थी । पर अब वह जमाना चला गया । अब तो समाचारपत्र एक व्यवसाय हो गया है जिसे लाखों रुपए लगाए जाते हैं । इसलिये आज यह कहना कि यदि पत्र का व्यवसायी अपने कर्त्तव्य का पूरी तरह पालन न करे तो उसको थोड़ा सा जुरमाना देकर छोड़ दिया जाए, यह मुझे उचित नहीं मालूम देता । बल्कि मैं तो निवेदन करूंगा कि क्यों न उनको जेल का दण्ड दिया जाए ? किन्तु यदि सरकार इनको जेल नहीं भेजना चाहती तो कम से कम जुरमाने की मात्रा तो बढ़ा दी जाए ।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता । समाज में दो ही वर्ग ऐसे हैं जिन पर मुझे दया आती है । एक तो प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक हैं, जिनको लोग गुरुओं की संज्ञा तो देते हैं लेकिन वे

[श्री भक्त दर्शन]

समाज में उनका सम्मान है और न उनको भरपेट भोजन मिलता है। यही हालत पत्रकारों की है। प्रतिदिन जब हम समाचारपत्र पढ़ते हैं तो हमें नए नए समाचार पढ़ कर बड़ी खुशी होती है, लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि किस तरह से रात रात जाग कर ये श्रमजीवी पत्रकार अपना खून पसीना बहा कर और लगन के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं और उनके पीछे कितनी तपस्या का इतिहास है ?

श्रीमान् इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : यह आश्चर्य की बात है कि सरकार इतने समय के बाद भी व्यापक विधेयक प्रस्तुत न कर सकी है जिससे सभी श्रमजीवी पत्रकारों की मांगें पूरी होतीं।

मैंने जो संशोधन रखा है उसमें मजूरी बोर्ड को इस रूप में बनाने का उल्लेख है कि सरकार समाचारपत्रों और पत्रकारों के बराबर प्रतिनिधि नामनिर्देशित करेगी और एक स्वतन्त्र व्यक्ति भी रखेगी जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा और बोर्ड का सभापति होगा। मेरा ख्याल है श्रमजीवी पत्रकारों को भी मेरा सुझाव स्वीकार होगा।

श्री बड़े ने एक नई धारा १९ख का सुझाव दिया है। इसका अर्थ है वे सब "प्रूफ रीडर" जो पहिले इसके अन्तर्गत आते थे वे अब इसके अन्तर्गत नहीं आयेंगे। इसका अर्थ है जो श्रमजीवी पत्रकारों को दिया जायेगा, वह सरकारी प्रेस के कर्मचारियों को नहीं दिया जायेगा।

आज हमारी सरकारी प्रेस में बहुत काम बढ़ गया है परन्तु इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद श्रमजीवी पत्रकारों को जो लाभ मिलेंगे वह इनको नहीं मिलेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस उपबन्ध को निकाल देना चाहिए।

जब भी कभी श्रमजीवी पत्रकारों का सम्मेलन हुआ तभी उसमें उपस्थित सरकारी प्रवक्ता ने यही बताया कि जल्दी ही मजूरी बोर्ड का गठन किया जायेगा। परन्तु सभा में जब भी कभी इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गये तभी मन्त्री महोदय ने इसका उत्तर नकारात्मक नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि वह कृपा करके हमें निश्चित रूप से बतायें कि मजरी बोर्ड का गठन कब किया जायेगा।

इसके पश्चात् मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसी पत्रिकाओं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा है। मैं बताना चाहता हूं 'टाइम' पत्रिका में हाल में ही छपा है कि नेहरू ने लैफ्टिनेंट जनरल कौल को नेफा से चीनियों को निकाल बाहर करने को भेजा। इसके बाद उसमें नेहरू की नीति की आलोचना भी की गई थी। ऐसी ही एक पत्रिका 'न्यूज वचिरुहै। उसमें दिया है कि 'वर्षों की मूर्खता के कारण भारत अस्थाई तौर पर हार गया है।

इस प्रकार के निराधार प्रचार को रोका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरी श्रमजीवी पत्रकारों से अपील है कि देश की रक्षा के लिए इस प्रकार के गलत प्रचार का विरोध करें जिससे जिससे हमारे प्यारे प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत हों।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर): इस विधेयक का समस्त सभा ने समर्थन किया है और मैं आशा करता हूं कि विधेयक के पारित हो जाने के बाद मजूरी बोर्ड को शीघ्र नियक्त किया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह विधेयक श्रमजीवी पत्रकारों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में है। आज प्रेस को तो स्वतन्त्रता है परन्तु उसमें काम करने वाले कर्मचारियों, सम्वाददाताओं आदि को कोई स्वतन्त्रता नहीं है। वह अपनी राय जाहिर करने के लिये स्वतन्त्र नहीं है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हमें कोई कार्यवाही करनी चाहिए। यही नहीं बल्कि हमें इसमें भी और संशोधन करने चाहिए अर्थात् श्रमजीवियों की स्वतन्त्रता में और वृद्धि करनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को बहुत अधिक काम करने के कारण तपेदिक आदि रोग हो जाते हैं। मेरा भी उनके साथ साथ यही कहना है कि हमें इन पत्रकारों के लिए अवश्य कोई इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनकी इन रोगों से सुरक्षा हो सके।

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि ऐसा किस कारण से नहीं किया गया है। दस वर्ष की समय सीमा के बारे में उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है कि कठोरता को हटा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस अवधि को कम किया जाना चाहिए। भावना के बारे में मैं श्री दी० चं० शर्मा के विचारों से पूर्णतः सहमत हूं कि जब भी उसको ऐसा मालूम हो कि उससे भावनाओं के विरुद्ध जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है तो वह त्यागपत्र देकर अलग हो सकता है। इसलिये इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं इंस्पेक्टरों की नियुक्ति के उपबन्ध का स्वागत करता हूं परन्तु साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे नियम भी बनाये जाने चाहियें जिससे इंस्पैक्टर अपना काम पूरी योग्यता से तथा पूरी दक्षता से कर सके।

मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में विवाद साधारण विधि न्यायालयों में जायगा। मेरा अनुभव है कि जब मामला इन न्यायालयों में जाता है तो वहां पर बड़े विलम्ब से फैसला हो पाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन मामलों को न्यायाधिकरणों को सौंपना चाहिए।

अन्त में मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसमें २०० रुपये से ५०० रुपये जुर्माने की व्यवस्था है जिसको मैं बहुत कम समझता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो तीन सजेस्चिन्ज देना चाहता हूं।

जो गवर्नमेंट प्रेस के कर्मचारी हैं, उन के लिए इस बिल में कोई ऐसी प्राविज़न नहीं है कि उनको भी तरक्की मिल सके। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन के लिए भी वही रियायतें मिलनी चाहिए, जो कि हम बाहर देते हैं।

कोई पैनल हो या कोई बोर्ड, उस में वर्किंग जर्नलिस्ट्स के वोट्स से चुने हुए लोग होने चाहिए। नामिनेडिट लोग होंगे, तो वे वर्किंग जर्नलिस्ट्स का इन्ट्रेस्ट सर्व नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन के अपने वोट्स से चुने हुए नुमायंदे होने चाहिए।

सरकार को किसी भी प्रेस या न्यूज़पेपर के साथ स्टैप-मदरली ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। जिस डिमाक्रेसी के लिए और सैकुलरिज्म के लिए हम खड़े हुए हैं, उस में हम ने ४४ करोड़ लोगों को प्रेम की एक गंगा में स्नान कराना है। मैं देखता हूं कि अकाली मूवमेंट ख़त्म हो गई, पंजाबी सूबे की मांग भी ख़त्म हो गई और सब अकाली लीडर्ज़ को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन दिल्ली के एक ग़रीब न्यूज़पेपर के ख़िलाफ़ अब भी सरकार ने मुकदमा चला रखा है कि उस ने पंजाबी सूबे की डिमांड को प्लीड किया था और उस डिमांड को आगे बढ़ाया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सरकार के लिए ऐसा करना शोभा नहीं देता है।

श्री दी० चं० शर्मा : कौन सा पेपर है ?

श्री यशपाल सिंह : नई दुनिया । मैं नाम नहीं लेना चाहता था ।

मान लीजिये कि मैंने कोई जुर्म किया है, तो सरकार मुझे तो रिहा कर दे, लेकिन जिस ने मेरी इमदाद की है, उस पर मुकदमा चला दे, यह एक ऐसी बात है, जो कि हमारे जनतंत्र को शोभा नहीं देती ।

जैसा कि मैं ने पहले कहा है, कोई भी बोर्ड, पैनल या ट्रिब्युनल बने, इस जमाने में सरकार को उसे नामीनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपने वोटों से उस बोर्ड को कायम करें और उन लोगों को उस में रखें, जो कि इन्साफ़ देने वाले हों ।

मैं अपने श्रद्धेय माननीय श्री दीवान चंद शर्मा की उस बात से सौ फ़ीसदी सहमत हूं, जो उन्होंने कही कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स को काम करते करते जो डिजीज होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ़ से उन के निराकरण और ट्रीटमेंट का इन्तजाम होना चाहिए ।

सरकार को चाहिए कि वह हिन्दी और अंग्रेजी में अब कोई भेद न रखे । हिन्दी अंग्रेजी का जो भेद है, यह सरकार को शोभा नहीं देता है । अंग्रेजी के अखबारों में अच्छी से अच्छी तनख्वाह मिलती है जबकि हिन्दी के अखबारों में कम से कम तनख्वाह मिलती है । यह भेद जो इस वक्त है, यह खत्म होना चाहिए । एसा एटमसफीयर तैयार किया जाना चाहिए कि हमारे लोग जो प्रेसर में काम करते हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, वे खयाल करें कि हम सब को एक निगाह से देखा जा रहा है ।

इन लोगों के ऊपर आज जो जिम्मेवारी है वह भी बहुत बड़ी है । सरकार को उन पर इस वक्त बड़ा भारी भरोसा करना है । उन्होंने यह साबित कर दिया है कि देश को आगे ले जाने में, चाइना को पीछे धकेलने में उन्होंने सब से ज्यादा सर्विसिज की हैं । इस वक्त देश में जो एटमसफीयर है वह ऐसा है कि लोगों ने अपने भेदभाव भुला दिये हैं, पार्टी फ्रिकशंज को भुला दिया है और सब एक जगह आ कर खड़े हो गये हैं । इसका सब से ज्यादा श्रेय हमारी प्रेस को है, हमारे अखबारों को है, वर्किंग जर्नलिस्ट्स को है, उन लोगों को है जो भखे रह करके भी देश की सेवा कर रहे हैं ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मुझे बस यही सजैशंज आपके सामने रखनी थीं । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन पर जरूर ध्यान देंगे ।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी श्रमजीवी पत्रकारों को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इस संकटकाल में इतनी योग्यता से काम किया कि इस सम्बन्ध में सभी समाचार ठीक तथा पूरे प्रकाशित हो सके ।

मेरा हैदराबाद में श्रमजीवी पत्रकारों से सम्बन्ध रहा है और मैं जानती हूं कि उनको क्या कठिनाइयां होती हैं । यह बड़ी ही बुद्धिमत्ता का कार्य है । उसको अपनी भावनाओं तथा मालिक की इच्छा दोनों का निर्वाह करना होता है । इसलिए मेरी पूंजीपतियों तथा उद्योग के मालिकों से अपील है कि वह श्रमजीवी पत्रकारों की व्यक्तिगत राय की भी इज्जत करें और बुद्धिमत्ता को कुंठित करने का प्रयत्न न करें । मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार शीघ्र ही मजूरी बोर्ड का गठन करने जा रही है ।

---

†मूल अंग्रजी में

मैंने देखा है कि ये पत्रकार प्रेसों में मशीनों के समान काम करते हैं। इसलिए यह बहुत अच्छा किया गया है कि सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

मेरे मित्र श्री मुकर्जी ने कहा कि आज प्रेस आदि पर पूंजीपतियों का अधिकार है। मैं जानना चाहती हूं कि उनका क्या सुझाव है कि जिससे उनका यह एकाधिकार समाप्त हो जाये। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। वह यह है कि श्रमजीवी पत्रकारों को अपने सहकारी संगठन बनाने चाहिए। सरकार को भी इस सम्बन्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए।

यद्यपि आज संकटकाल में हमारी प्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही हैं परन्तु फिर भी मैं उनके काम से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उन्होंने हमारी नीतियों का पूरी तरह से प्रचार नहीं किया है। उदाहरणतः तटस्थता की नीति को लीजिये। इसका भी वह पूरी तरह से प्रचार नहीं कर पाये हैं और उनको अपने मालिकों की इच्छानुसार काम करना पड़ा है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में श्रमजीवी पत्रकारों के कल्याण के लिए और भी कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (हतकंगले) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला तो यह है कि इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना चाहिए तथा दूसरे मजूरी बोर्ड के सदस्यों की संख्या पांच सदस्यों के स्थान पर सात सदस्य नहीं करनी चाहिए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९६२ / १५ अग्रहायण, १८८४ (शक) के बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[बुधवार, ५ दिसम्बर, १९६२ / १४ अग्रहायण, १८८४ (शक)]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित : . . . . . पृष्ठ १८३३

बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

विधेयक पुरःस्थापित

(१) आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा विधेयक, १९६२ . १८३३–३४

(२) आपातकालीन जोखिम (माल) बीमा विधेयक, १९६२ . . १८३४

(३) कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक, १९६२ . . १८३४

(४) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९६२ . . १८३४–३५

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत १९३५–३७

दसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १८३७—४३, १८४५–४६

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ने चर्चा का उत्तर दिया । चर्चा समाप्त हुई तथा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित . . . . . १८४६—६५

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विधेयक विचाराधीन . . . . . १८६६—८१

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) ने प्रस्ताव किया कि श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९६२/१५ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२, (२) व्यक्तिगत घाव (आपातकालीन उपबंध) विधेयक, १९६२, और (३) मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहन तेलों की बिक्री) विधेयक, १९६२ पर विचार तथा उनका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—2421 (Ai) LSD—11-1-63—140.

पृष्ठ

श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . १८६६–८१

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् . १८६६–६८

श्री ही० ना० मुकर्जी . . . १८६८–६९

श्री दी० चं० शर्मा . . १८६९–७०

श्री कृष्णपाल सिंह १८७०

श्री बड़े १८७०–७३

श्री च० का० भट्टाचार्य . . १८७३–७४

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . . १८७४–७५

श्री मणियंगाडन् . . . १८७५

श्री भक्त दर्शन . . . १८७५–७८

श्री स० मो० बनर्जी . . . १८७८

श्री अ० ना० विद्यालंकार १८७८–७९

श्री यशपाल सिंह १८७९–८०

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा १८८०–८१

श्री कृ० ल० मोरे १८८१

दैनिक संक्षेपिका १८८२

P.L.S. 41. XI. 21. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।